

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. ई-1-384-2011-5-एक.—श्री एस. एन. शर्मा, भाप्रसे (1997) कलेक्टर, सीधी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री जगदीश चन्द्र जटिया, राप्रसे (1992) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, सीधी का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. ई-1-388-2011-एक-5.—श्री प्रशांत मेहता, भाप्रसे. (1975), महानिदेशक, आरसीव्हीपी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश तथा महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) भी घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. ई-1-390-2011-5-एक.—श्री राजेन्द्र सिंह, भाप्रसे. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल के पद

पर नियुक्ति के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपी जाती हैं।

(2) उपरोक्तानुसार श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम, 9 के अन्तर्गत अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- 11 बी में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-389-2011-5-एक.—श्री मसूद अख्तर, भाप्रसे, अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, सीधी के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर, सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जगदीश चन्द्र जटिया, राप्रसे (1992), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी केवल कलेक्टर, सीधी के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. एफ. ए. 5-27-2011-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस.सी. सिन्हों, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दिनांक 26 सितम्बर 2011 से 3 अक्टूबर 2011 तक.	8 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 सितम्बर 2011 एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. एफ. ए. 5-28-2011-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री आलोक अराधे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दिनांक 7 सितम्बर 2011 से 16 सितम्बर 2011 तक.	10 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 सितम्बर 2011 एवं 18 सितम्बर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1(ए)-393-88-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जनवरी 2011 द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को अर्जित अवकाश की अवधि में खण्डवर्ष 2010-2013 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में गृह नगर “भुवनेश्वर (उड़ीसा)” जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के नियम 8 के उपनियम (सी) के प्रावधान अनुसार राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे द्वारा गृह नगर “भुवनेश्वर” की, की गई उक्त अवकाश यात्रा को, प्रति वर्ष गृह नगर यात्रा की पात्रता के अन्तर्गत, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये खण्डवर्ष 2010-2013 के प्रथम वर्ष 2010 की गृह नगर अवकाश यात्रा के रूप में मान्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त आदेश की अन्य कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

3. श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को दिनांक 14 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2011 तक कुल अड़तालीस दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 12, 13 नवम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 के विज्ञप्त

अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये, उक्त अवधि में खण्डवर्ष 2010-2013 के द्वितीय वर्ष 2011 में गृह नगर अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत "भुवनेश्वर" अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4. उक्त अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

5. अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1(ए)-400-88-ब-2-दो.—श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) पु.मु. भोपाल को दिनांक 18 जुलाई 2011 से 5 अगस्त 2011 तक कुल उन्नीस दिवस के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर, श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

फा. क्र. 3(ए)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में

लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम-5(1)(बी) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रु. 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:—

1. श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया
2. श्रीमती तृप्ती शर्मा
3. श्री जाकिर हुसैन
4. श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव
5. श्री संजीव कुमार अग्रवाल
6. श्रीमती विधि सक्सेना
7. श्री कपिल कुमार मेहता
8. श्री मोहन पी. तिवारी.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

फा. क्र. 16-4-98-इक्कीस-ब (दो).—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 व धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री ए. के. मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में न्यायिक सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की कालावधि के लिये या उस समय तक के लिये जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिये नियुक्त करता है।

F. No. 16-4-98-XXI-B (II).—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government hereby appoints Shri A. K. Mishra, Retired Principal Secretary Government of Madhya Pradesh Law and Legislative Affairs Department, Bhopal as a Judicial Member of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge for the period of Five years or till he attains the age of Sixty five years whichever is earlier.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2011

फा. क्र. 1(सी)-22-11-इक्कीस-ब(दो)-संशोधन.—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेशों दिनांक 3 नवम्बर 2011 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

उक्त आदेशों के पंक्ति-03 में “उज्जैन” शब्द विलोपित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2011

संशोधन

फाईल क्र. 1(अ)3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2011, 12 सितम्बर 2011 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर एवं ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ता/उप शासकीय अधिवक्ता के पदों पर नियुक्ति की गई है. उक्त नियुक्ति में निम्नानुसार नामों का संशोधन किया जाता है :—

क्रमांक	पूर्व नाम	संशोधित नाम एवं पद
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती निर्मला नायर	श्रीमती निर्मला नायक, शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर.
2	श्री भगवान राय पांडे	श्री भगवान राज पांडे, शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर.
3	श्री मुकेश पोरवाल	श्री मुकेश परवाल, शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
4	श्री प्रमोद मिड्डा	श्री प्रमोद मीठा, उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
5	श्री राघवेन्द्र वैश्य	श्री राघवेन्द्र सिंह बैस, उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
6	श्री लड्डूराम शर्मा	श्री लड्डू लाल शर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
7	श्रीमती विनीता पांचे	श्रीमती विनीता फाये, उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
8	श्रीमती मिनी रविन्द्रन	सुश्री मिनी रविन्द्रन, उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
9	श्री सी.एस. कार्णिक	श्री सी.आर. कर्णिक, शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-25-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक डी-15-50-2005-चौदह-3, दिनांक 12 मार्च 2008 एवं अधिसूचना क्रमांक डी-15-70-2007-चौदह-3, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 जो “राजपत्र” में प्रकाशित हुई है, के निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति, बकतरा, रेहटी, बरेली, इटारसी, होशंगाबाद, औबेदुल्लागंज, रायसेन, जबलपुर, शाहपुरा भिटौनी, नैनपुर, डबरा क्षेत्र में उत्पादित एवं किसानों के द्वारा मंडी प्रांगण में विक्रित बासमती धान जिसका उपयोग प्रदेश में स्थापित राईस/धान मिलों में या इसे प्रदेश के बाहर ले जाने के लिए किया जाता है पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, किन्तु यह छूट वाणिज्यिक संव्यवहार अंतर्गत क्रय/विक्रित अधिसूचित कृषि उपज “धान” पर लागू नहीं होगी.

मंडी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के “राजपत्र” में प्रकाशन दिनांक से 31 मार्च 2012 तक के लिए प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-25-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 15th November 2011

No. D-15-25-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, subject

to the terms and conditions specified in this Department's Notification No. D-15-50-2005-XIV-3, dated 12th March 2008 and Notification No. D-15-70-2007-XIV-3, dated 7th December 2010 published in the "Gazette" hereby exempt licensee traders of the Agricultural Produce Marketing Committee, from the payment of whole market fee payable under the said Act on "Basmati paddy" which has been produced in the area of Agricultural Produce Marketing Committee-Baktra, Rehti, Bareli, Itarsi, Hoshangabad, Obaidullaganj, Raisen, Jabalpur, Shahpur Bitoni, Nanpur, Dabra and sold by the farmers in the market yard, and which is either being used in the rice/paddy mills established in the state or is being sent out of the state But the said exemption shall not be admissible if "Basmati Paddy" is purchased/sold in the commercial transaction.

This notificaton for exemption from the payment of market fee shall come into force from the date of publication in the "Gazette" and shall remain applicable till 31st March 2012.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
SANTOSH MISHRA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-58-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-3-99-चौदह-4, दिनांक 15 मार्च 2000 को आंशिक संशोधन करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित कृषि उपज "कपास" (बिना ओटी हुई) चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर अथवा अधिसूचित कृषि उपज "कपास" (बिना ओटी हुई) चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, और प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो, की कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर के स्थान पर रुपये एक की दर से मण्डी फीस नियत करती है:

परन्तु इस प्रकार संशोधन द्वारा नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-5-2000-चौदह-3, दिनांक 4 अप्रैल 2003 की अनुसूची-एक में नियत की गई मद अर्थात् "किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि" में कोई राशि देय नहीं होगी.

यह अधिसूचना "राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से आगामी केवल एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-58-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 15th November 2011

No. D-15-58-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under the provisions of sub-section (1) of Section 69 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby partly amend this Department's notification No. D-15-3-99-XIV, dated 15th March 2000 and fix the market fee at the rate of one rupee in place of rupees two for every one hundred rupees of the price on sale of notified Agricultural Produce "Cotton" (unginned) whether brought from within the State or from out side the State in the market area or notified Agricultural Produce "Cotton" (unginned) whether brought in from within the State or from out side the State in the market and used for processing :

Provided that, from the market fee so fixed by revision, no money shall be payable in proviso of this department's notification No. D-15-2000-XIV-3, dated 4th April 2003, that is the determined head of amount in Scheduled One, namely "Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund".

This notification shall come into force for a period of only one year from the date of publication in "Gazette".

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
SANTOSH MISHRA, Dy. Secy.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2011

सूचना

क्र. एफ. 9-3-2005-ब-सोलह.—यतः, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्ग पर करने का आशय रखती है।

अतएव, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी व्यक्ति को जिन्हें उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रस्तावित विस्तारण पर कोई आपत्ति हो तो, लिखित में अपनी आपत्ति राज्य सरकार, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल में, इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा :—

सारणी

स्थापनाओं का विवरण (1)	क्षेत्र जहां स्थापनाएं स्थित हैं (2)
निम्नलिखित स्थापनाएं, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पिछले पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित थे अर्थात् :—	सभी क्षेत्र, जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध, अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन पूर्व से ही प्रवृत्त किये जा चुके हैं.
(एक) दुकान;	
(दो) होटल;	
(तीन) रेस्टोरेंट;	
(चार) सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएँ;	
(पांच) सिनेमाघर, जिनमें पूर्वदर्शन थियेटर सम्मिलित हैं	
(छह) श्रमजीवी पत्रकार और अन्यच समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 (ध) में यथा परिभाषित समाचार-पत्र स्थापनाएँ;	
(सात) व्यक्तियों, न्यासों, सोसाइटियों या अन्य संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं, (सार्वजनिक, निजी, सहायता प्राप्त या अंशतः सहायता प्राप्त को सम्मिलित करते हुए) जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन को 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं.	
(आठ) चिकित्सा संस्थानों, जिनमें निगमित क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, पूर्ण और निजी स्वामित्व चिकित्सालय तथा नर्सिंग होम सम्मिलित हैं जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन को 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं.	

NOTICE

No. F 9-3-2005-ब-XVI.—WHEREAS, In pursuance of the provisions of sub-section (5) of Section 1 of the employee's State Insurance Act, 1948 (No. 34 1948), the State Government, with the approval of the Central Government, intends to extend the provisions of the said Act to class of establishments specified in the Table below;

NOW, THEREFORE, notice is hereby given that any person having objection to the proposed extension of the provisions of the aforesaid Act may submit his objection in writing to the State Government in the Labour Department, Mantralaya, Bhopal *within one month* from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette" :—

TABLE

Description of Establishments (1)	Areas in which the Establishments are situated (2)
The following establishments whereon ten or more persons are employed, or were employed on any day of the preceding twelve months, namely :—	All areas where the aforesaid Act has already been brought into force under section 1(3) of the Act.
(i) Shops;	
(ii) Hotels;	
(iii) Restaurants;	
(iv) Road Motor Transport establishments;	
(v) Cinemas including preview theatres;	
(vi) Newspaper establishments as defined in Section 2(d) of the working journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);	
(vii) Educational Institutions (including public, private, aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other organisations;	
(viii) Medical Institution (including corporat, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals, nursing homes, diagnostic center's, pathological labs.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

“संशोधित अधिसूचना”

क्र. 1-9-अन्वे.-पांच-2009-30216-515.—मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761-613-16-ए-82, दिनांक 25 मई 1982 के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर को प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अधिसूचना क्रमांक 1-9-अन्वे.-पांच-2009-27238-537, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 जारी करते हुए जुलाई, 2010 से जून, 2011

तक के माहों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) प्रकाशित किये गये थे, जिसमें टंकण त्रुटि के कारण माह अप्रैल, 2011 का सूचकांक 4225 अंकित हो गया था, जो वस्तुतः 4245 था. अतः इस त्रुटि को सुधार करते हुए पूर्व में जारी उपर्युक्त उल्लेखित अधिसूचना में, मैं विनोद कुमार, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित करता हूँ :—

क्र.	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2010	4062
2	अगस्त, 2010	4062
3	सितम्बर, 2010	4087

(1)	(2)	(3)
4	अक्टूबर, 2010	4131
5	नवम्बर, 2010	4156
6	दिसम्बर, 2010	4225
7	जनवरी, 2011	4289
8	फरवरी, 2011	4225
9	मार्च, 2011	4225
10	अप्रैल, 2011	4245 संशोधित
11	मई, 2011	4269
12	जून, 2011	4314

योग . . (औसत) $\frac{50290}{12}=4191$

तथा उक्तानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) का औसत 4191 घोषित करता हूँ. जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा. इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(सी)-ए-9416-ए, दिनांक 5-6-1997 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 जून 1997 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 28-116-99-16-ए, दिनांक 4 सितम्बर, 2000 (मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 4 सितम्बर 2000 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 तक देय रहेगा.

विनोद कुमार, श्रमायुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्र. 15444-क्षेपअ/2011.—जबलपुर शहर में भारी वाहनों के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय सामाचार-पत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है. कई घटनाओं में दिन के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है.

अतः उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित

में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारवाही वाहनों का प्रवेश जबलपुर नगर निगम सीमा में प्रातः 06.00 बजे से लेकर रात्रि 09.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है :-

1. भारी माल वाहक जैसे-ट्रक/डम्पर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टर. नगर निगम सीमा में प्रवेश प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे.
2. निम्न मार्गों पर नो एंट्री से दोपहर 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक छूट रहेगी :-
 - ए. बाईपास मार्ग तथा पाटन बाईपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग.
 - बी. कछपुरा माल गोदाम से मेहता पेट्रोल पंप, एम.आर. 4, अहिंसा चौक, स्टेट बैंक चौक होते हुए दीनदयाल चौक तक.
3. आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-
 1. दुग्ध वाहन
 2. नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
 3. पुलिस वाहन
 4. फायर ब्रिगेड
 5. पानी टैंकर
 6. आर्मी के वाहन
 7. विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
 8. एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन.

यह आदेश दिनांक 1 नवम्बर 2011 से प्रभावशील होगा.

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त समझे जावें.

उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं नगर निगम की वाहनों हेतु अपर आयुक्त नगर निगम को अधिकृत किया जाता है.

गुलशन बामरा, जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 67-33-10-तीन-1833.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री कोमल/बाबूलाल जाटव, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री कोमल/बाबूलाल जाटव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कोमल/बाबूलाल जाटव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री कोमल/बाबूलाल जाटव को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 31 मई 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री कोमल/

बाबूलाल जाटव से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री कोमल/बाबूलाल जाटव, को नोटिस दिनांक 10 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 जुलाई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्री कोमल/बाबूलाल जाटव द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओं नोटिस देने के उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहित घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 26 अगस्त 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्री कोमल/बाबूलाल जाटव को विहित समयावधि में दिनांक 20 अगस्त 2011 कराई गई. अभ्यर्थी श्री कोमल/बाबूलाल जाटव उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित हुए. उपस्थित होकर उन्होंने अपना मूल निर्वाचन व्यय लेखा/देयक विहित समयावधि निकल जाने के उपरांत प्रस्तुत किया है तथा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखे पर अभ्यर्थी का नाम भी गलत (कोमल प्रसाद अहिरवार एवं देयकों पर कोमल प्रसाद जाटव एवं कोमल अहिरवार) अंकित है. अभ्यर्थी श्री कोमल/बाबूलाल जाटव द्वारा व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई कारण भी संतोषप्रद नहीं बताया ना ही कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है एवं प्रस्तुत किये गये व्यय लेखे पर अपना नाम भी गलत अंकित किया है, जिसे मान्य नहीं किया जा सकता है. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री कोमल/बाबूलाल जाटव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कोमल/बाबूलाल जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष (दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-33-10-तीन-1834.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री रतीराम गुप्ता अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 का शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री रतीराम गुप्ता को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रतीराम गुप्ता द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रतीराम गुप्ता को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 31 मई 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 11 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री रतीराम गुप्ता से

जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री रतीराम गुप्ता को नोटिस दिनांक 11 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 26 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्री रतीराम गुप्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओं नोटिस देने के उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरर्हित घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 26 अगस्त 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री रतीराम गुप्ता उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्री रतीराम गुप्ता को विहित समयावधि में दिनांक 18 अगस्त 2011 कराई गई. अभ्यर्थी श्री रतीराम गुप्ता द्वारा आयोग में उपस्थित होकर व्यय लेखे की छाया प्रति एवं देयक प्रस्तुत किये गये, लेकिन व्यय लेखे विहित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं बताया ना ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किये. जिससे इनका लेखा स्वीकार किया जा सके. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रतीराम गुप्ता द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रतीराम गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष (दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-33-10-तीन-1835.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 31 मई 2010 जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2010

को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को नोटिस दिनांक 10 जुलाई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 25 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां द्वारा नोटिस तामिली उपरांत व्यय लेखा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत व्यय लेखा निर्धारित सीमा के अन्दर है, लेकिन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण संतोषप्रद नहीं है।

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 26 अगस्त 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुईं। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को विहित समयावधि में दिनांक 18 अगस्त 2011 कराई गई। अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां द्वारा आयोग में उपस्थित होकर व्यय लेखे विहित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं बताया ना ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किये। जिससे इनका लेखा स्वीकार किया जा सके। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष (दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-33-10-तीन-1836.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री सुदामा तिवारी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री सुदामा तिवारी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुदामा तिवारी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुदामा तिवारी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 31 मई 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन

अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 11 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री सुदामा तिवारी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री सुदामा तिवारी को नोटिस दिनांक 11 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 26 जुलाई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्री सुदामा तिवारी द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 26 अगस्त 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री सुदामा तिवारी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्री सुदामा तिवारी को विहित समयावधि में दिनांक 18 अगस्त 2011 कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री सुदामा तिवारी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुदामा तिवारी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-157-10-तीन-1873.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बड़वाह, जिला खरगोन के आम निर्वाचन में श्री गिरधारी नायक अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री गिरधारी नायक को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगोन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खरगोन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गिरधारी नायक द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री गिरधारी नायक को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010 जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, खरगोन के माध्यम से दिनांक 24 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री गिरधारी नायक से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर

प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक को नोटिस दिनांक 24 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 मई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगोन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2010 में अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक द्वारा व्यय लेखा के साथ कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पारिवारिक उलझनों एवं अन्य कार्यों में व्यस्थ होने तथा अज्ञानता के कारण समयावधि में व्यय लेखा दाखिल नहीं किया जाना दर्शाया है. आयोग के पत्र दिनांक 8 जुलाई 2010 द्वारा श्री गिरधारी नायक के अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 सितम्बर 2010 में प्रतिवेदित किया है कि श्री गिरधारी नायक द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2010 को कार्यालय में उपस्थित होकर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने संबंधी चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 9 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था. किन्तु अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खरगोन के माध्यम से श्री गिरधारी नायक के भतीजे श्री कमलनायक को विहित समयावधि में दिनांक 1 मार्च 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक के द्वारा विहित समयावधि में व्यय लेखा दाखिल नहीं करने के संबंध में जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न किया उसमें दिनांक 12 अगस्त 2010 अंकित है. जबकि नगरपालिका परिषद् बड़वाह का निर्वाचन परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. अतः अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को व्यय लेखा दाखिल करने की आखरी तारीख दिनांक 18 जनवरी 2010 थी. अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्र लगभग 7 माह बाद का होने से, कलेक्टर से वस्तुस्थिति की जानकारी उनके अभिमत सहित चाही गई. कलेक्टर से इस संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 9 अगस्त 2011 प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवेदित है कि उनके द्वारा श्री गिरधारी नायक को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के संबंध में सूचना-पत्र दिनांक 15 जून 2011 को जारी कर, तहसीलदार बड़वाह के माध्यम से श्री गिरधारी नायक को दिनांक 28 जून 2011 को तामील कराया गया. लेकिन अभ्यर्थी श्री नायक द्वारा प्रतिवेदन 9 अगस्त 2011 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री गिरधारी नायक द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री गिरधारी नायक को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद बड़वाह, जिला खरगोन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-157-10-तीन-1874.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बड़वाह, जिला खरगोन के आम निर्वाचन में श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री राजेन्द्र कुमार

धन्नालाल सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगोन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खरगोन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी द्वारा विलम्ब से दिनांक 19 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.

विहित समयावधि निकल जाने के बाद निर्वाचन व्यय का लेखा दिनांक 19 फरवरी 2010 विलम्ब से प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, खरगोन के माध्यम से दिनांक 24 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी को नोटिस दिनांक 24 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 मई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगोन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2010 में प्रतिवेदित है कि श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी द्वारा सूचना पत्र तामिली के उपरांत प्रतिवेदन दिनांक तक कोई अभ्यावेदन उनके कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था. किन्तु अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खरगोन के माध्यम से श्री राजेन्द्र कुमार को दिनांक 1 मार्च 2011 कराई गई. इनकी तामिलशुदा प्रति पर टीप अंकित है कि “मैं राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी न.पा.प. बड़वाह, नगरपालिका निर्वाचन संबंधी समस्त दस्तावेज दिनांक 19 फरवरी 2010 को खरगोन कार्यालय में जमा कर चुका हूं, जो सम्पूर्ण सत्य है. इसके अलावा अन्य कोई खर्च मेरे द्वारा नहीं किया गया है. “अभ्यर्थी ने अपनी उक्त टीप के संबंध में (30 दिन) विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे इनका व्यय लेखा मान्य किया जा सके. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद बड़वाह, जिला खरगोन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान
विश्वविद्यालय, जबलपुर

राज भवन, भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. 1467-रा.स.-यू.ए.1-2011.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 12 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन की अनुशंसा अनुसार मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर डॉ. धर्मपाल लोकवानी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पैथालाजी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए विश्वविद्यालय का कुलपति

नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार
कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. 3031.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना -2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची-एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल/नर्सिंग होम्स को एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है:—

“अनुसूची-एक”

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)

प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची

अशासकीय अस्पताल

1. आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेन्टर, लिटिल किंगडम स्कूल के सामने, नेपियर टाउन, होम साईस कॉलेज के पास, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

प्रभात दुबे, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला एवं दण्डाधिकारी, नीमच मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 1530-सा.लेख-211.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड-एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 2 (क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 18 अक्टूबर 2011 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड-एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक (1) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम (स्तंभ क्र. 1)	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार (स्तंभ क्र. 2)	थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया (स्तंभ क्र. 3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सगराना (संबंधित हाईवे)	बघाना	नीमच

(1)	(2)	(3)	(4)
2	धसुण्डी (संबंधित हाईवे)	बघाना	नीमच
3	हिंगोरिया (संबंधित हाईवे)	बघाना	नीमच
4	चौथखेड़ा	बघाना	नीमच
5	जमुनिया खुर्द	बघाना	नीमच
6	आसपुरा	जीरन	बघाना
7	ग्वालदेवीया	जीरन	बघाना
8	पालसोड़ा	बघाना	जीरन
9	आम्बा	रतनगढ़	सिंगोली
10	परलाई	रतनगढ़	सिंगोली
11	बागरेड खेड़ा	जावद	मनासा
12	देपालपुरा	जावद	मनासा
13	सावन	नीमच केन्ट	मनासा
14	सावन कुण्ड	नीमच केन्ट	मनासा

लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव (गृह).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. 1651-भू-अर्जन-11

खरगोन, दिनांक 9 नवम्बर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 16-अ-82-10-11

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 9 नवम्बर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण डूब से प्रभावित होने से ग्राम नगावां, -11 प.ह.नं. 31, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 45, 48/2, 92 एवं 100 एवं 109 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 7/2, 10, 14, 15, 37, 99, 101, 102, 107/2, 107/4, 108/1, 111-112 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 3 पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र पेश किया है जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1, 2, 3 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं

अनु.क्र.	स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम/पूरा पता	सर्वे नंबर	मोहल्ला शीट क्रमांक	प्लॉट नम्बर/ भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धर्मशाला सार्वजनिक	45	1	11	60
2	शिव मंदिर सार्वजनिक शिव सभा गृह ओटला	45	1	16	47
3	शिव मंदिर सार्वजनिक शिव सभा गृह ओटला	45	1	17	18
4	अनुबाई बेवा किशन, ताराचंद पिता किशन	45	1	19	54
5	उदन पिता बोखार, सुशीलाबाई पति उदन	100	1	34	43
6	नयन पिता बोखार, कल्पना बाई पति नमन	100	1	35	38
7	नत्थू पिता राजाराम, सलिताबाई पति नत्थू	100	1	36	66
8	कालू पिता दुबलु, जसोदाबाई पति कालु	100	1	52	245
9	राधेश्याम पिता दुबलु, बसुबाई पति राधेश्याम	100	1	55	66
10	तापीराम पिता सीगदार, श्याणीबाई पति तापीराम, रेवाराम पिता सीगदार, लक्ष्मीबाई पति रेवाराम, रघुराम पिता सीगदार, कालीबाई पति रघुराम.	100	1	56	85
11	मोतीराम पिता श्यामा, देवकीबाई पति मोतीराम	100	1	57	57
12	बाबू पिता पेमा	100	1	58	70
13	रघुराम पिता सिकदार, कालीबाई पति रघुराम	100	1	59	132
14	रणछोड़ पिता चंपालाल, दुर्गाबाई पति रणछोड़	100	1	61	187
15	कड़वाजी पिता नत्थू, पार्वतीबाई पति कड़वाजी	100	1	63	70
16	फुलचंद पिता शोभाराम, ग्यारसबाई पति फुलचंद	100	1	66	61
17	कड़वाजी पिता नत्थू, पार्वतीबाई पति कड़वाजी	100	1	64	64
18	लक्ष्मीबाई बेवा बोखार, हीरालाल, गोपाल पिता बोखार, देवकीबाई पति हीरालाल, मंजुबाई पति गोपाल.	100	1	65	63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	सडू पिता दयाराम, बसुबाई पति सडू	100	1	67	66
20	सकुबाई बेवा लक्ष्मण, फकिर, मयाचंद पिता लक्ष्मण मंजूबाई पति फकिर, सोनुबाई पति मयाचंद	100	1	68	52
21	राजाराम पिता बाल्या	100	1	78	84
22	शेरू पिता राजाराम, जानकीबाई पति शेरू	100	1	79	55
23	मांगीलाल पिता राजाराम, नानीबाई पति मांगीलाल	100	1	80	52
24	शेरू पिता राजाराम, जानकीबाई पति शेरू	100	1	80/366	41
25	दयाबाई बेवा फतु, चंदर, देवराम, दरियाव पिता फतु, निर्मलाबाई पति चंदर, सुशीलाबाई पति देवराम, दुर्गाबाई पति दरियाव.	100	1	92	188
26	जातीबाई बेवा भीकाजी, भगवान पिता भीकाजी, सुमनबाई पति भगवान, लेखराम पिता भीकाजी, कमलाबाई पति लेखराम, गोविंद पिता भीकाजी, नीलाबाई पति गोविन्द राधेश्याम पिता भीकाजी, सीमाबाई पति राधेश्याम.	100	1	99	162
27	मांगीलाल पिता लक्ष्मीचंद, गीताबाई, पति मांगीलाल	100	1	100	170
28	श्रीराम मंदिर, दयाबाई बेवा फतु, चंदर, देवराम, दरियाव पिता फतु, निर्मलाबाई पति चंदर, सुशीलाबाई पति देवराम, दुर्गाबाई पति दरियाव.	100	1	102	127
29	देवराम पिता नत्थू, बसंतीबाई पति देवराम	100	1	103	1005
30	दुरपताबाई बेवा मोतीराम, लखन पिता मोतीराम, रामप्यारीबाई पति लखन.	100	1	104	81
31	नारायण पिता मोतीराम, लक्ष्मीबाई पति नारायण	100	1	105	94
32	डोंगर पिता मांगीलाल, मीराबाई पति डोंगर	100	1	120	75
33	गुलाबचंद पिता मांगीलाल, सुन्दरबाई पति गुलाबचंद	100	1	121	86
34	जसवंतसिंह पिता रामसिंह, कंचनबाई पति जसवंतसिंह, किशोर पिता रामसिंह, नानीबाई पति किशोर.	100	1	122	190
35	रानीबाई बेवा लक्ष्मण, नर्मदाबाई बेवा लक्ष्मण, परमानंद पिता लक्ष्मण, केशरबाई पति परमानंद.	100	1	123	174
36	किरणबाई बेवा गजानंद, मोहन पिता गजानंद	100	1	124	109
37	धर्मेन्द्र सिंह पिता गुलाबसिंह, दीपालीबाई पति धर्मेन्द्रसिंह	100	1	125	67
38	लखमेशिंह पिता कनकसिंह, शकुनबाई पति लखमेशिंह, हिम्मतसिंह पिता लखमेशिंह, संगीताबाई पति हिम्मतसिंह	100	1	126	176
39	रमेश पिता प्रेमलाल, उर्मिलाबाई पति रमेश	100	1	136	87
40	जगदीश पिता प्रेमलाल, सावित्रीबाई पति जगदीश	100	1	137	94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	मंगलीबाई बेवा राजाराम	100	1	138	186
42	गंगाराम पिता भीलाजी, रंजनाबाई पति गंगाराम	100	1	139	160
43	दीपाबाई बेवा प्रेमलाल	100	1	140	430
44	लक्ष्मीनारायण पिता गंगाराम	100	1	142	62
45	प्रकाश पिता कनकसिंह, रूखमणीबाई पति प्रकाश	100	1	143	211
46	भगवानसिंह पिता कनकसिंह, ममताबाई पति भगवानसिंह	100	1	144	103
47	रेशमबाई बेवा कनकसिंह, बादामसिंह पिता कनकसिंह अंजु बाई पति बादामसिंह	100	1	145	150
48	नर्मदाबाई बेवा सुरेश	100	1	146	46
49	नेमीचंद पिता मांगीलाल, इंदुबाई पति नेमीचंद	100	1	147	37
50	रमेश पिता सेवकराम, रमाबाई पति रमेश	100	1	148	150
51	तिलोकचंद पिता सेवकराम, गीताबाई पति तिलोकचंद	100	1	149	120
52	जनकगीर पिता गणपतगीर, मंजुलाबाई पति जनकगीर जसोदाबाई पति गणपतगीर.	100	1	150	340
53	जनकगीर पिता गणपतगीर, मंजुलाबाई पति जनकगीर जसोदाबाई पति गणपतगीर.	100	1	151	75
54	नर्मदा बाई बेवा लक्ष्मण, परमानंद पिता लक्ष्मण, केशरबाई पति परमानंद.	100	1	152	154
55	कपुरचंद पिता सेवकाराम, भूरीबाई पति कपुरचंद	100	1	154	212
56	हुकुमचंद पिता सेवकाराम, भागवतबाई पति हुकुमचंद	100	1	155	67
57	शिव मंदिर एवं दुर्गामाता मंदिर सार्वजनिक	100	1	156	15
58	बालकराम पिता मोतीराम, भागवतबाई पति बालकराम	100	1	158	95
59	दुर्गाराम पिता देवराम, संतोषबाई पति दुर्गाराम	100	1	159	266
60	रामेश्वर पिता टीकाराम, लक्ष्मीबाई पति रामेश्वर	100	1	160	225
61	राधेश्याम पिता दुबलु, बसुबाई पति राधेश्याम	100	1	161	13
62	सरवण पिता दुबलु, कलाबाई पति सरवण	100	1	162	67
63	ओंकार पिता दुबलु, गौरीबाई पति ऊंकार	100	1	163	78
64	रमेश पिता दुबलु, मनुबाई पति रमेश	100	1	164	71
65	चंदाबाई बेवा दुबलु, भोलु पिता दुबलु बीनाबाई पति भोलु	100	1	165	85
66	दीपक पिता नारायण, घीसुबाई पति दीपक	100	1	167	160
67	बालकराम पिता मोतीराम, भागवतबाई पति बालकराम	100	1	169	47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	लखन पिता मोतीराम, रामप्यारीबाई पति लखन	100	1	170	47
69	लाडकीबाई बेवा रणछोड़	100	1	171	76
70	बदा पिता सिगदार, चंपाबाई पति बदा	100	1	172	105
71	तापीराम पिता सीगदार, श्याणीबाई पति तापीराम	100	1	182	134
72	मांगीलाल पिता राजाराम, नानीबाई पति मांगीलाल	100	1	184	141
73	शेरू पिता राजाराम, जानकीबाई पति शेरू	100	1	185	127
74	पुनमचंद पिता शिवराम, कविताबाई पति पुनमचंद	100	1	186	68
75	श्याम पिता ठाकुरलाल, गुलाबबाई पति श्याम	100	1	189 पैकी	71
76	सुरेश पिता रामलाल, मायाबाई पति सुरेश	100	1	191	31
77	मुकेश पिता रामलाल, गायत्रीबाई पति मुकेश	100	1	192	30
78	राकेश पिता रामलाल, बसंतीबाई पति राकेश	100	1	193	30
79	तिलोकचंद पिता रामलाल, ग्यारसीबाई पति तिलोकचंद	100	1	194	31
80	दीनेश पिता नत्थू, आशाबाई पति दीनेश	100	1	195	67
81	महेश पिता नत्थू, ममताबाई पति महेश	100	1	196	19
82	कस्तुरीबाई बेवा हरिगीर, लक्ष्मणगीर पिता हरिगीर, सुमनबाई पति लक्ष्मणगीर.	100	1	198	115
83	नरेशगीर पिता मांगीलाल, लक्ष्मीबाई पति नरेशगीर	100	1	199	48
84	जनकगीर पिता गणपतगीर, मंजुबाई पति जनकगीर	100	1	200	132
85	श्रीराम पिता देवराम, गंगाबाई पति श्रीराम	100	1	202	42
86	देवराम पिता टीकाराम, पारूबाई पति देवराम	100	1	203	196
87	अनारबाई बेवा आनंदराम	100	1	204	45
88	जगदीश पिता टीकाराम, लटुबाई पति जगदीश	100	1	205	196
89	नत्थू पिता चंपालाल, समातिबाई पति नत्थू	100	1	207	229
90	गबरू पिता गुलाबचंद	100	1	208	310
91	तिलोकचंद पिता नंदराम, जयंतीबाई पति तिलोकचंद	100	1	208/369	155
92	जगदीश पिता बाबुलाल, उषाबाई पति जगदीश, प्रवीण, दीलीप, महेश पिता बाबुलाल.	100	1	210	577
93	नंदराम पिता टीकाराम, हीरूबाई पति नंदराम, रेवाजी पिता टीकाराम, रामकौरबाई पति रेवाजी.	100	1	211	64

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	नंदराम पिता टीकाराम, हीरूबाई पति नंदराम, रेवाजी पिता टीकाराम, रामकौरबाई पति रेवाजी.	100	1	211/368	59
95	श्रीराम पिता देवराम, गंगाबाई पति श्रीराम	100	1	212	209
96	अनारबाई बेवा आनन्दराम	100	1	213	119
97	रामेश्वरपुरी पिता महापुरी, पप्पीबाई पति रामेश्वरपुरी	100	1	214	145
98	भलाजी पिता भुवानीराम	100	1	215	135
99	देवेन्द्रपुरी पिता दिवानपुरी, उर्मिलाबाई पति देवेन्द्रपुरी	100	1	216	168
100	शिवराम पिता भुवानीराम, लक्ष्मीबाई पति शिवराम	100	1	217	159
101	गायत्रीबाई बेवा काशीपुरी, संजय पिता काशीपुरी, रीनाबाई पति संजय.	100	1	219/374	66
102	दीलीपपुरी पिता केशवपुरी, किरणबाई पति दीलीपपुरी, विष्णुपुरी पिता केशवपुरी, निर्मलाबाई पति विष्णुपुरी.	100	1	219/373	98
103	प्रेमलाल पिता तुलसीराम, मायाबाई पति प्रेमलाल	100	1	219/371	160
104	रेवाराम पिता रामलाल, चुनीबाई पति रेवाराम	100	1	219/372	352
105	शिवराम पिता भुवानीराम, लक्ष्मीबाई पति शिवराम	100	1	221	71
106	राजाराम पिता भुवानीराम, रूखमणीबाई पति राजाराम	100	1	222	107
107	सीताराम पिता भुवानीराम, नानीबाई पति सीताराम	100	1	223	224
108	फुंदाबाई पति भुवानीराम	100	1	224	139
109	बलीराम पिता ठाकुरलाल, झुमकाबाई पति बलीराम	100	1	225	121
110	निर्मलाबाई बेवा राधेश्याम	100	1	226	87
111	शेरू पिता टीकाराम, सुशीलाबाई पति शेरू	100	1	227	80
112	राधेश्याम पिता टीकाराम, नर्मदाबाई पति राधेश्याम	100	1	228	52
113	जगदीश पिता राजाराम, कमलाबाई पति जगदीश	100	1	230	75
114	रामेश्वर पिता ठाकुरलाल, नीलाबाई पति रामेश्वर	100	1	239	110
115	विश्वनाथ पिता नत्थुजी, कंचनबाई पति विश्वनाथ	100	1	241	88
116	नारायण पिता तोताराम, धनश्री पति नारायण	100	1	242	50
117	गोपाल पिता तोताराम, आशाबाई पति गोपाल	100	1	243	54
118	कल्याणसिंह पिता डोंगरसिंह, सीमाबाई पति कल्याणसिंह	100	1	244	49
119	नरेन्द्र पिता डोंगरसिंह, विद्याबाई पति नरेन्द्र	100	1	245	43
120	अनुसुईयाबाई बेवा गुलाबचंद	100	1	246	273

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
121	प्रेमलाल पिता तुलसीराम, मायाबाई पति प्रेमलाल	100	1	247	30
122	गजानंद पिता तुलसीराम, सेवंतीबाई पति गजानंद	100	1	248	126
123	रामलाल पिता चुन्नीलाल, सीताबाई पति रामलाल	100	1	249	336
124	भगवान पिता रामेश्वर, पुष्पाबाई पति भगवान	100	1	251	300
125	संतोष पिता आनंदराम, उषाबाई पति संतोष	100	1	251/376	368
126	बजरंग पिता तोताराम, मिसरबाई पति बजरंग, गजानंद पिता तोताराम, नानीबाई पति गजानंद, काशीराम पिता तोताराम, कंचनबाई पति काशीराम, राधेश्याम पिता तोताराम कृष्णाबाई पति राधेश्याम.	100	1	252	344
127	लेखराम पिता ठाकुरलाल, बसंतीबाई पति लेखराम	100	1	254	168
128	बलीराम पिता ठाकुरलाल, झुमकाबाई पति बलीराम	100	1	255	162
129	दौलतसिंह पिता सुकलाल, सकुनबाई पति दौलतसिंह	100	1	256	277
130	रामेश्वर पिता ठाकुरलाल, नीलाबाई पति रामेश्वर, लखन पिता रामेश्वर, सुभद्राबाई पति लखन.	100	1	257	66
131	निर्मलाबाई बेवा राधेश्याम, मुकेश पिता राधेश्याम, कविताबाई पति मुकेश.	100	1	258	68
132	काशीराम पिता रामसिंह, रामप्यारी बाई पति काशीराम	100	1	259	132
133	गौराबाई पिता बाबुलाल, शेरू पिता बाबुलाल	100	1	260	51
134	फुलबाई बेवा कमलसिंह	100	1	261	53
135	अमरसिंह पिता चंपालाल, कुसुमबाई पति अमरसिंह	100	1	262	55
136	राधेश्याम पिता चंपालाल, अहिल्याबाई पति राधेश्याम	100	1	263	96
137	डोंगरसिंह पिता चंपालाल, आनंदबाई पति डोंगरसिंह	100	1	264	73
138	सेवकराम पिता ठाकुरलाल, फुंदाबाई पति सेवकराम	100	1	265	398
139	बहादरसिंह पिता चंपालाल, मोताबाई पति बहादरसिंह	100	1	266	312
140	गजानंद पिता तुलसीराम, सेवंतीबाई पति गजानंद	100	1	219/370	210
141	रमेश पिता प्रेमलाल, उर्मिलाबाई पति रमेश	100	1	334	118
142	शासकीय शाला भवन	109	1	268	14
143	शासकीय शाला भवन	109	1	269	85
144	शासकीय शाला भवन	109	1	270	31
145	शासकीय शाला भवन	109	1	271	12
146	शासकीय शाला भवन	109	1	272	60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
147	दीलीप पिता द्वारकीलाल, देवकीबाई पति दीलीप	92	1	323	27
148	डालुराम पिता प्यारेलाल, सकुबाई पति डालुराम	92	1	325	130
149	महेश पिता फत्तु, राधाबाई पति महेश	92	1	326	40
150	भुवानीबाई बेवा फत्तु	92	1	327	56
151	द्वारकीलाल पिता प्यारेलाल, गौराबाई पति द्वारकीलाल	92	1	328	74
152	चेतराम पिता हिराजी, ग्यारसबाई पति चेताराम	92	1	329	109
153	बलीराम पिता हीराजी, दुर्गाबाई पति बलीराम	92	1	330	58
154	मुन्ना पिता हीराजी, रेशमबाई पति मुन्ना	92	1	331	69
155	घीसालाल पिता फत्तु, नीलाबाई पति घीसालाल	92	1	334	33
156	मुकेश पिता बलीराम	92	1	335	22
157	भुवानीराम पिता हीरा	48/2 92	1	336	40
158	नाना पिता फत्तु, छंडुबाई पति नाना	92	1	337	58
159	मायाबाई बेवा कड़वा	92	1	338	48
160	परसराम पिता नत्थू, गनाबाई पति परसराम	92	1	339	46
161	पन्नालाल पिता भुवानीराम, प्रेमबाई पति पन्नालाल	92	1	340	89
162	दीनेश पिता भगवान, ममताबाई पति दीनेश	92	1	343	30
163	भगवान पिता फत्तु, नंदाबाई पति भगवान	92	1	344	60
164	अमरसिंह पिता प्यारेलाल, सुमनबाई पति अमरसिंह	92	1	345	90
165	जसोदाबाई बेवा भुवानीराम	92	1	347	85
166	परसराम पिता नत्थू, गनाबाई पति परसराम	92	1	348	53
167	दीनेश पिता परसराम, सीमाबाई पति दीनेश	92	1	349	50
168	सोनाबाई बेवा प्यारेलाल	92	1	350	44
169	डालुराम पिता प्यारेलाल, सकुबाई पति डालुराम	92	1	351	190
170	ओमप्रकाश पिता प्यारेलाल, सुनिताबाई पति ओमप्रकाश	92	1	353	75
171	सरदार पिता कुतरिया, जानकीबाई पति सरदार	92	1	356	60
172	चेतराम पिता गुंजन, कंचन पिता चेताराम	92	1	358	72
173	मांगीलाल पिता रामलाल, सावित्रीबाई पति मांगीलाल	92	1	360	40
174	विष्णु पिता रामलाल, रेखाबाई पति विष्णु	92	1	361	73
175	मांगीलाल पिता रामलाल, सावित्रीबाई पति मांगीलाल	92	1	362	61
176	रामलाल पिता शोभाराम, द्वारकीबाई पति रामलाल	92	1	363	36

परिशिष्ट-2

निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

अनु. क्र. (1)	नाम मकान मालिक, पिता का नाम (2)	ख. नं. (3)	संपत्ति का विवरण (4)
1	धर्मेन्द्र पिता रिचु मानकर	7/2	मकान
2	गोरधन, सीयाराम, पप्पु, भमरिया पिता नत्थू केवट	15	मकान
3	घीसा पिता मंगत, शिवराम पिता मुरार केवट	37	टीनशेड
4	रामकृष्ण पिता प्रेमलाल गुजर	108/1	मकान
5	जगदीश पिता प्रेमलाल गुजर	108/1	गोडाउन, गोबर गैस-1
6	मुन्ना पिता नानसिंह मानकर	111, 112	मकान
7	महादेव पिता दरयाव मानकर	111, 112	मकान
8	छगन पिता धुलसिंह मानकर	111, 112	मकान
9	बंशीलाल पिता रमेश केवट	10	मकान
10	रमाबाई बेवा पप्पु कहार	10	मकान
11	पप्पु पिता सखाराम केवट	10	मकान
12	रेवाजी पिता सिगदार केवट	10	मकान
13	शंकर पिता रेवाजी केवट	10	मकान
14	रामेश्वर पिता भगवान गुजर	10	पशुशेड, टीनशेड एवं खुला
15	नहारू पिता भगवान गुजर	10	मकान
16	संतोष पिता रामलाल केवट	10	मकान
17	रामलाल पिता मांगीलाल केवट	10	मकान
18	गजानंद पिता ताराचंद केवट	10	मकान
19	गणेश पिता संतोष केवट	10	मकान
20	किशोर पिता शेरू केवट	10	मकान
21	घन्नालाल पिता राधेश्याम केवट	10	मकान
22	मंजुबाई पिता कनकसिंह केवट	10	मकान
23	सुकदेव पिता गजानंद केवट	10	मकान
24	बलवीर पिता सुकदेव केवट	10	मकान
25	गबरू पिता सीताराम केवट	10	मकान
26	राधेश्याम पिता कनकसिंह केवट	10	पशुशेड
27	कमलसिंह पिता गनाजी केवट	10	मकान
28	रेवाजी पिता सीगदार केवट	10	मकान
29	दुर्गाराम पिता कमलसिंह केवट	10	मकान
30	दानव बाबा	10	मकान
31	लखन पिता तुलसीराम केवट	14	मकान
32	मंगतीबाई पति राजाराम भारुड़	99	टीनशेड
33	रामेश्वरपुरी पिता महापुरी गोस्वामी	101	गौबर गैस, पानी हौज
34	उत्तमसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत	102	टीनशेड, गोबर गैस
35	सुमेरसिंह पिता जसवंत सिंह राजपूत	102	मकान
36	मुकेश पिता राधेश्याम गुजर	107/2	पशुबाड़ा, गोबर गैस
37	सुरेश पिता सेवकराम गुजर	107/4	पशुबाड़ा, गोबर गैस
38	महिमाराम पिता ठाकुरलाल गुजर	107/4	गोबर गैस

परिशिष्ट-3

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

अनु. क्र. (1)	ख. नं. (2)	मद (3)	संपत्ति का विवरण (4)
1	3	नि. चरनोई	मकान-1, पंपहाउस-4 पाईप लाईन-19.
2.	राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.		
3.	कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ. 12-22-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 29-10-2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.		
4.	कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.		

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.—

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवाई की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2, 3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदान करेगा जो अनुमति उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम नगावां-II की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 27 सितम्बर 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
 2. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
4. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक, रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी—
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

पता : 220 बजरंग नगर जेतापुर, खरगोन

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

पता : स्वर्णकार कालोनी, खरगोन.

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(नवनीत मोहन कोठारी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

खरगोन, दिनांक 9 नवम्बर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-10-11

क्र. 1652-भू-अर्जन-2011.—यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस

अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतयार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 9 नवम्बर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण डूब से प्रभावित होने से ग्राम अमलाथा-11 प.ह.नं. 34, तहसील कसरवाव, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 291, 297, 325, 327, 350, 352, 354, 356, 358, 359, 406, 456 एवं 457 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर 173, 176/1, 182/1, 286, 292, 294, 295, 299, 300, 304, 308, 309, 316, 319/3, 320, 324, 332, 333-334, 335, 340/2, 341, 345/1, 345/2, 360, 362, 363, 369, 370/1, 370/2, 372, 375-376, 380, 385, 398, 400, 402, 403, 404, 409, 413, 420/2, 425, 426, 430, 434, 446, 447, 450/1 एवं 451/2 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 268/1, 284, 348 एवं 461 पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1, 2, 3 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं

अनु. क्र.	स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम/ पूरा पता	सर्वे नम्बर	मोहल्ला शीट क्रमांक	प्लॉट नम्बर/ भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	द्वारक्या, औंकार, कन्हैया पिता बन्सया बलाई	291, 297	1	6	90
2	शितला माता ओटला	291	1	24	9
3	जमनाबाई पति गोकूल बलाई	291	1	25	23
4	गोकूल पिता भील्या बलाई	291	1	26	3
5	ठाकूरलाल पिता भीलाजी बलाई	291	1	27	110
6	नानकूबाई बेवा भुवानीराम बलाई	291	1	28	50
7	सखाराम पिता करसन बलाई	291	1	29	74
8	सुमनबाई बेवा राघोराम बलाई	291	1	30	28
9	गजानंद पिता सीताराम बलाई	291	1	31	37
10	गटीया पिता हिरा बलाई	291	1	33	36
11	लोभीराम पिता हिरा बलाई	291	1	34	21
12	ताराचंत पिता हिरा बलाई	291	1	35	46
13	गोपाल, रमेश, हुकुम पिता कालू बलाई	291	1	36	79
14	दिलीप पिता मयाराम बलाई	291	1	38	19
15	मयाराम, मोहब्बत, बाबू, हुकुम पिता बोखार बलाई	291	1	39	57
16	देवराम पिता मांगीलाल बलाई	291	1	42	25
17	सुरेन्द्र पिता देवराम बलाई	291	1	43	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	फूलचंद पिता करसन बलाई	291	1	44	4
19	रामसिंग पिता करसन बलाई	291	1	47	37
20	भूरीबाई बेवा लक्ष्मण बलाई	291	1	48	43
21	बसंत पिता हिरा बलाई	291	1	49	17
22	कन्या मा. वि. शासकीय	456	1	371	59
23	बालक प्राथमिक विद्यालय शासकीय	456	1	376	136
24	शासकीय प्राथमिक विद्यालय अतिरिक्त कक्ष	456	1	378	41
25	ग्राम सेवक आवासगृह शासकीय	456	1	380	80
26	आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय	456	1	381	74
27	लतिफखॉ पिता इलाहीबक्श पिंजारा	457	1	386	48
28	भोलू पिता कान्या बलाई	291, 297	1	4	59
29	बलीराम पिता मंग्या बलाई	291	1	7	9
30	जीवनलाल पिता मंग्या बलाई	291	1	8	34
31	बलीराम पिता मंग्या बलाई	291	1	9	34
32	प्रेमचंद पिता पदम बलाई	291	1	10	79
33	उमराव पिता अर्जुन बलाई	291	1	11	118
34	धमेन्द्र पिता तोताराम बलाई	291	1	12	24
35	होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई	291	1	13	60
36	रूखडू पिता मांगीलाल बलाई	291	1	14	58
37	मंगत पिता शेरू बलाई	291	1	16	28
38	जनमोज पिता बन्सया बलाई	291, 297	1	20	28
39	कन्हैया पिता बन्सया बलाई	291, 297	1	21	36
40	नरेन्द्र पिता नानूराम बलाई	291	1	22	41
41	सदाशिव पिता झापड़िया बलाई	297	1	2	30
42	रणजीतसिंह जितेन्द्रसिंह पिता बापूसिंह राजपुत	325	1	47	71
43	सार्वजनिक कांजी हाउस ग्राम पंचायत	325	1	28	84
44	विजय पिता करणसिंह राजपुत	325	1	30	58
45	संतोषबाई बेवा मंगूसिंह राजपुत	325	1	31	41
46	सीगदारबाई बेवा सौभागसिंह राजपुत	325	1	32	48
47	अंबुबाई पति सीताराम सुतार	325	1	33	65
48	दुर्गाबाई पिता बाबूलाल सुतार	325	1	34	12
49	दंटू पिता तुकाराम सुतार	325	1	37	103
50	लखमसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत	325	1	38	312
51	भूपेन्द्रसिंह पिता लालसिंह राजपुत	325	1	39	375
52	शोभाराम पिता दौलाजी सुतार	325	1	40	44
53	राजाराम पिता दौलाजी सुतार	325	1	41	42
54	नरेन्द्रसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपुत	325	1	43	53
55	देवेसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह राजपुत	325	1	45	40
56	टीकमसिंह पिता भिकाजी राजपुत	325, 327	1	46	65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	हरेसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत	325, 327	1	50	71
58	अर्जुनसिंह पिता दिलीपसिंह राजपुत	325	1	51	154
59	टीकमसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत	325, 327	1	52	130
60	कमलसिंह पिता भारतसिंह राजपुत	327	1	2	770
61	लक्ष्मीबाई, शारदाबाई बेवा देवेसिंह, दिक्पालसिंह पिता देवेसिंह अ. पा. क. माता लक्ष्मीबाई राजपुत.	327	1	3	131
62	राजुबाई बेवा उमरावसिंह राजपुत	327	1	4	11
63	शक्तिसिंह पिता दुलेसिंह राजपुत	327	1	6	126
64	धमेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत	327	1	7	75
65	राजसिंह पिता सौभागसिंह राजपुत	327	1	8	61
66	कैलाश पिता भगवतसिंह रावजी	327	1	9	21
67	विजयसिंह पिता भगवंतसिंह राव	327	1	10	15
68	भगवंतसिंह पिता गणपतसिंह राव	327	1	11	27
69	देवेसिंह पिता भगवंतसिंह राव	327	1	12	16
70	भारतसिंह पिता भगवंतसिंह राव	327	1	13	16
71	जितेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत	327	1	17	73
72	भूपेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह, श्रीपाल पिता भारतसिंह राजपुत	327	1	18	127
73	मोहनसिंह पिता गजराजसिंह राजपुत	327	1	19	66
74	जितेन्द्रसिंह पिता सौदानसिंह राजपुत	327	1	20	64
75	दिलीपसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत	327	1	21	105
76	अजयसिंह पिता करणसिंह राजपुत	327	1	22	96
77	हरीकुवरबाई पति अंतरसिंह राजपुत	327	1	23	43
78	विमलाबाई पति अंतरसिंह राजपुत	327	1	24	121
79	रामसिंह पिता अमरसिंह राजपुत	327	1	26	112
80	नरेन्द्रसिंह पिता राजसिंह राजपुत	327	1	48	75
81	राजेन्द्रसिंह पिता करणसिंह राजपुत	327	1	49	54
82	इंदरसिंह पिता रतनसिंह राजपुत	327	1	53	124
83	नरेन्द्रसिंह पिता राजसिंह राजपुत	327	1	54	127
84	सौदानसिंह पिता अनारसिंह राजपुत	327	1	56	83
85	भारतसिंह पिता अनारसिंह राजपुत	327	1	57	64
86	श्रीराम मंदिर सार्वजनिक	327	1	58	161
87	रमेशचंद, संतोष कुमार, अरूण कुमार, लखन कुमार, सुर्य कुमार पिता पंडरीनाथ, गेंदाबाई बेवा पंडरीनाथ ब्राह्मण.	327	1	59	635
88	छनकुवरबाई बेवा गजराजसिंह राजपुत	327	1	61	107
89	गिरवरसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत	327, 352	1	62	166
90	लक्ष्मीबाई, शारदाबाई बेवा देवेसिंह, दिक्पालसिंह पिता देवेसिंह अ. पा. क. माता लक्ष्मीबाई राजपुत.	327	1	81	137
91	मांगीबाई बेवा भारतसिंह, सरदारसिंह पिता भारतसिंह राजपुत	327, 352	1	82	103
92	गिरवरसिंह पिता पदमसिंह राजपुत	327, 352	1	83	62
93	गजराजसिंह पिता भवरसिंह राजपुत	352	1	86	32
94	भवरसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	327, 352	1	87	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95	भोलूसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	327, 352	1	89	198
96	बोखार पिता कालूसिंह राजपुत	327, 352	1	90	101
97	नरेन्द्रसिंह पिता भोलूसिंह राजपुत	327, 352	1	91	111
98	भागुबाई पति पप्पु राजपुत	327, 352	1	92	42
99	जितेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत	327, 352	1	93	74
100	सार्वजनिक हनुमान मंदिर	350	1	179	59
101	घीसूसिंह पिता उमेदसिंह राजपुत	350	1	180	59
102	युवराजसिंह पिता बलरामसिंह राजपुत	350	1	181	75
103	शिवपाल पिता प्रतापसिंह राजपुत	350	1	182	81
104	भारतसिंह पिता रूकडूसिंह राजपुत	350	1	183	70
105	दिलीपसिंह पिता रूकडूसिंह राजपुत	350	1	184	28
106	मोहनसिंह पिता मोतिसिंह दुलेसिंह, विक्रमसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत.	350	1	185	138
107	शेरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत	350	1	186	80
108	लोकेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह राजपुत	350	1	187	18
109	करणसिंह पति मानसिंह राजपुत	350	1	188	144
110	भगवंतसिंह पिता सौभागसिंह, रूपकुंवरबाई पति हरेसिंह राजपुत	350	1	189	138
111	विरेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह राजपुत	350	1	190	73
112	रंजीतसिंह पिता अंतरसिंह, श्यामकौरबाई बेवा अंतरसिंह राजपुत	350	1	191	77
113	धमेन्द्रसिंह पिता अंतरसिंह, श्यामकौरबाई बेवा अंतरसिंह राजपुत	350	1	192	89
114	धमेन्द्रसिंह, रंजीतसिंह पिता अंतरसिंह राजपुत	350	1	193	79
115	दौलतसिंह पिता हमेरसिंह राजपुत	350	1	194	83
116	कडवा पिता मनोहरसिंह राजपुत	350	1	195	102
117	सेवंतीबाई पति इंदरसिंह राजपुत	350	1	196	38
118	लक्ष्मणसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत	350	1	197	96
119	लोकेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह राजपुत	350	1	198	70
120	देवेसिंह, करणसिंह पिता लोभेसिंह राजपुत	350	1	199	94
121	सूरजबाई पिता लोभेसिंह राजपुत	350	1	200	87
122	नारायणसिंह पिता मानसिंह राजपुत	350	1	201	98
123	इंदरसिंह, रामसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता राजेसिंह राजपुत	350	1	202	81
124	दिपकसिंह पिता ज्ञानसिंह राजपुत	350	1	203	58
125	लीलाबाई पति नत्थुसिंह राजपुत	350	1	204	55
126	श्यामसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत	350	1	205	108
127	लोकेन्द्रसिंह पिता जीवनसिंह राजपुत	350	1	206	115
128	प्रतापसिंह पिता शेरसिंह राजपुत	350	1	208	82
129	कैलाशसिंह पिता गजराजसिंह राजपुत	350	1	209	73
130	अंतरसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत	350	1	210	87
131	शांताबाई बेवा राजेश सिंह राजपुत	352	1	63	26
132	सेवंतीबाई बेवा दौलतसिंह राजपुत	352	1	64	24
133	बाघसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	352	1	65	64
134	विक्रमसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत	352	1	66	126
135	धमेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत	352	1	67	160
136	गंभीरसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत	352	1	68	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
137	भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत	352	1	69	69
138	दिलीपसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत	352	1	70	30
139	कल्याणसिंह पिता केशरेसिंह राजपुत	352	1	71	64
140	राकेशसिंह पिता तरवरसिंह राजपुत	352	1	72	69
141	कनकसिंह पिता मोतेसिंह राजपुत	352	1	74	103
142	प्रहलादसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	352	1	75	84
143	राकेशसिंह पिता तरवरसिंह राजपुत	352	1	76	73
144	देवेसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत	352	1	77	221
145	दिलीपसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत	352	1	78	201
146	कालूसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत	352	1	79	214
147	कृष्णपालसिंह पिता गिरवरसिंह राजपुत	352	1	80	107
148	इंदरसिंह पिता पदमसिंह राजपुत	352	1	84	49
149	विद्याबाई बेवा केसरेसिंह, देवेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत.	352	1	94	137
150	रामसिंग पिता सौभागसिंह राजपुत	352	1	95	128
151	सुरेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत	352	1	97	84
152	बलरामसिंह पिता पदमसिंह राजपुत	352	1	98	103
153	महाकुवरबाई पिता मांगीलाल राजपुत	352	1	100	42
154	बसुबाई पिता मांगीलाल राजपुत	352	1	101	41
155	देवकुवरबाई पिता मांगीलाल राजपुत	352	1	102	44
156	भगवतसिंह पिता गजराजसिंह राजपुत	352	1	103	155
157	मांगीलाल पिता रामसिंह राजपुत	352	1	105	86
158	हिम्मतसिंह पिता रामसिंह राजपुत	352	1	107	160
159	भगवतसिंह पिता गजराजसिंह राजपुर	352	1	108	21
160	देवकुवरबाई पिता मांगीलाल राजपुत	352	1	109	47
161	बसुबाई पिता मांगीलाल राजपुत	352	1	110	60
162	महाकुवरबाई पिता मांगीलाल राजपुत	352	1	111	46
163	रणजीतसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत	352	1	112	195
164	दुलीचंद पिता गोपाल सुतार	352	1	113	133
165	खुमानसिंह पिता सौभागसिंह राजपुत	352	1	114	130
166	लखनसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपुत	352	1	115	126
167	लालसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपुत	352	1	116	103
168	रामदास पिता उमेशसिंह राजपुत	352	1	117	80
169	घीसूसिंह पिता उमेदसिंह राजपुत	352	1	118	127
170	हरेसिंह पिता गप्पूसिंह बलरामसिंह पिता गजराजसिंह राजपुत	352	1	119	147
171	देवेसिंह पिता दातारसिंह राजपुत	354	1	120	55
172	सरदारसिंह पिता दातारसिंह राजपुत	354	1	121	85
173	सेवंतीबाई बेवा सरेन्द्रसिंह राजपुत	354	1	122	72
174	मानकुवरबाई बेवा उमरावसिंह राजपुत	354	1	123	147
175	विक्रमसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	354	1	124	87
176	टीकमसिंह पिता भिकाजी राजपुत	354	1	125	96
177	प्रतापसिंह पिता बाबूसिंह राजपुत	354	1	127	86
178	प्रहलादसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	354	1	128	77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
179	टीकमसिंह पिता भिकाजी राजपुत	354	1	129	95
180	शिवपाल, रामपालसिंह पिता भगवंतसिंह, प्रहलादसिंह, महिपालसिंह पिता कमलसिंह राजपुत.	354	1	130	128
181	उदयसिंह, सचिनसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपुत	354	1	131	92
182	कमलसिंह, भगवानसिंह पिता अनारसिंह राजपुत	354	1	132	41
183	भुवानेसिंह पिता अंतरसिंह राजपुत	354	1	133	13
184	शंकरसिंह पिता अंतरसिंह राजपुत	354	1	134pe	55
185	रामकुवरबाई बेवा मानसिंह, महेन्द्रसिंह, दिनेशसिंह, जितेन्द्रसिंह, सत्येनसिंह पिता मानसिंह राजपुत.	354	1	135pe	336
186	त्रिलोकसिंह पिता खुमानसिंह राजपुत	354	1	136pe	235
187	कैलाशसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत	354	1	137	84
188	भारतसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत	354	1	138	84
189	सुरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत	354	1	141pe	37
190	लकमेशसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत	354	1	142pe	100
191	राजेसिंह पिता सौभगसिंह राजपुत	354	1	143pe	80
192	हरेसिंह पिता सिगदारसिंह राजपुत	354	1	144pe	72
193	बदामसिंह पिता सिगदारसिंह राजपुत	354	1	145pe	59
194	कुलदेवी मंदिर सुतार समाज सार्वजनिक सुतार	354	1	151	17
195	राजेन्द्रसिंह पिता जसवंतसिंह राजपुत	354	1	152	50
196	जितेन्द्रसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत	354	1	154	71
197	बापूसिंह पिता रतनसिंह राजपुत	354	1	155	143
198	जयपालसिंह पिता देवेशसिंह राजपुत	354	1	156	61
199	हरेसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत	354	1	157	64
200	हिम्मतसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत	354	1	158	66
201	टीकमसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपुत	354	1	159	44
202	विक्रमसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपुत	354	1	160	43
203	कलाबाई पति कल्याणसिंह राजपुत	354	1	162pe	8
204	हरिकुवरबाई बेवा भगवानसिंह राजपुत	354	1	163pe	100
205	जसवंतसिंह पिता रूगनाथसिंह राजपुत	354	1	164	114
206	रूखडूसिंह पिता बापूसिंह राजपुत	354	1	166pe	16
207	चंद्रसिंह पिता मोतेसिंह शंकरसिंह, सरदार सिंह, बलरामसिंह लखनसिंह पिता चंद्रसिंह राजपुत.	354	1	168	330
208	शंकरसिंह पिता चंद्रसिंह, हरेसिंह पिता शोभागसिंह, दुलेसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत.	354	1	169pe	108
209	बाघसिंह पिता मोतेसिंह राजपुत	354	1	170pe	52
210	बलरामसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत	354	1	171pe	16
211	संतोष पिता बाबूलाल सेन	356	1	247	37
212	शेरसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	356	1	248	26
213	कैलाश पिता बाबूलाल सैन	356	1	249	39
214	आनन्दबाई बेवा बाबूलाल, सुरेश पिता बाबूलाल सैन	356	1	250	51
215	सत्तारखाँ पिता नबीखाँ मुण्डा	356	1	251	34
216	अकलीमखाँ पिता गफ्फारखाँ मुण्डा	356	1	252	49
217	हसीनाबाई पति मुंशीखाँ मुण्डा	356	1	255	26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
218	सादीक पिता हसन मुण्डा	356	1	257	34
219	जाकिर पिता हसन मुण्डा	356	1	258	26
220	मकबुलबाई बेवा हसन मुण्डा	356	1	259	67
221	मंगतीबाई बेवा जामा मुण्डा	356	1	260	63
222	वायदुनबाई पति मुंशी मुण्डा	356	1	261	37
223	नजरू पिता कासम मुण्डा	356	1	263	83
224	शाकीर पिता अजीत मुण्डा	356	1	266	67
225	बदामसिंह पिता रतनसिंह, योगेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह पिता बदामसिंह राजपुत.	356	1	267	235
226	सुरेन्द्रसिंह पिता जसवंतसिंह राजपुत	356	1	268	22
227	जसवंतसिंह पिता रतनसिंह राजपुत	356	1	269	219
228	विक्रमसिंह पिता रतनसिंह, कमलसिंह पिता विक्रमसिंह राजपुत	356	1	270	437
229	विक्रमसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत	356	1	271	161
230	दुलेसिंह पिता बापूसिंह राजपुत	356	1	273	50
231	भुवानेसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत	356	1	274	162
232	सार्वजनिक ग्राम पंचायत, पशुओं को पानी पीने का हौज	356	1	276	21
233	पवन पिता बालूजी भारूड	358	1	323	99
234	जाकिर पिता अजमेरीखाँ पिंजारा	358	1	286	80
235	फाजलखाँ पिता अजमेरीखाँ पिंजारा	358	1	287	90
236	सुशीलाबाई पति गुलशेरखाँ पिंजारा	358	1	288	85
237	सीगदार पिता रमजान पिंजारा	358	1	289	116
238	शेरसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	358	1	291	35
239	शमशेरखाँ पिता गुलाबखाँ पिंजारा	358	1	302	46
240	उमरावखाँ पिता गुलाबखाँ पिंजारा	358	1	303	72
241	मरीयमबी पति हुसैनखाँ पिंजारा	358	1	304	98
242	नुरीबाई पिता इमामखाँ, हुसैन, कलंदर, सिकंदर पिता इमामखा पिंजारा	358	1	305	53
243	नहारू, गुड्डू पिता किशन, रामकौरबाई बेवा किशन भारूड	358	1	306	58
244	गजेन्द्रसिंह पिता कडवासिंह राजपुत	358	1	307	67
245	विजयसिंह, अजयसिंह पिता राघुराम भारूड	358	1	308	66
246	दशरथ पिता नरसिंह भारूड	358	1	310	52
247	जमनाबाई बेवा भगवान भारूड	358	1	311	50
248	लखन पिता दशरथ भारूड	358	1	313	111
249	गेंदालाल पिता तुकाराम, धर्मेन्द्र पिता गेंदालाल सुतार	358	1	315	90
250	कुसुमबाई बेवा अनारसिंह राजपुत	358	1	316	77
251	रघुनाथ पिता सीताराम भारूड	358	1	317	104
252	दिपक पिता कैलाश भारूड	358	1	318	41
253	तुलसीराम पिता नरसिंह भारूड	358	1	319	120
254	रामेश्वर पिता रघुनाथ भारूड	358	1	320	100
255	प्रवीणसिंह पिता विक्रमसिंह राजपुत	358	1	321	81
256	शेरू, नारायण, राजेन्द्र पिता बाबू, शांताबाई बेवा बाबू भारूड	358	1	322	162
257	हिरूबाई बेवा बालूजी, दशरथ पिता बालूजी भारूड	358	1	324	175
258	मिश्रीलाल पिता बालूजी भारूड	358	1	325	170
259	लखन पिता बालूजी भारूड	358	1	326	141

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
260	फरीयादखाँ पिता मंगूखाँ पिंजारा	358, 457	1	389	98
261	अनीसखाँ पिता दादुखाँ पिंजारा	358, 457	1	390	90
262	कप्तानखाँ पिता मंगूखाँ पिंजारा	358, 457	1	391	61
263	चांदखाँ पिता मंगूखाँ पिंजारा	358, 457	1	392	133
264	तरवरसिंह पिता मोतेसिंह राजपुत	359	1	211	195
265	ज्ञानसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत	359	1	212	255
266	टीकमसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत	359	1	213	552
267	धनसिंह पिता गोपालसिंह राजपुत	359	1	214/396	41
268	अजयसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत	359	1	214	41
269	सायकुवरबाई बेवा चंदरसिंह राजपुत	359	1	215	53
270	बदामसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत	359	1	216	61
271	सौभागसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत	359	1	217	72
272	मेहताबसिंह पिता भोलूसिंह, दगडुसिंह पिता गणपतसिंह राजपुत	359	1	218	60
273	लक्ष्मणसिंह पिता तरवरसिंह राजपुत	359	1	219	98
274	जगदीश पिता रूपसिंह राजपुत	359	1	220	106
275	नवलसिंह पिता रूपसिंह राजपुत	359	1	221	46
276	किरणबाई बेवा रामसिंह राजपुत	359	1	222	39
277	नत्थुसिंह पिता रूपसिंह राजपुत	359	1	223	44
278	जसवंतसिंह पिता कालूसिंह राजपुत	359	1	224	166
279	अंतरसिंह पिता गप्पूसिंह राजपुत	359	1	225	48
280	भूपेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपुत	359	1	226	47
281	दादुसिंह पिता मांगीलाल राजपुत	359	1	227	23
282	लोकेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल राजपुत	359	1	228	23
283	राजेन्द्रसिंह पिता दरियावसिंह राजपुत	359	1	229	35
284	रघुवीरसिंह पिता दरियावसिंह राजपुत	359	1	230	32
285	खुमानसिंह पिता रूपसिंह, मधुबाई बेवा रूपसिंह राजपुत	359	1	232	39
286	दरियावसिंह पिता नारायणसिंह राजपुत	359	1	233	45
287	धर्मेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपुत	359	1	235	27
288	महेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपुत	359	1	236	32
289	जितेन्द्रसिंह पिता धनसिंह, राजपुत	359	1	237	392
290	लोकेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल राजपुत	359	1	239	46
291	दादुसिंह पिता मांगीलाल राजपुत	359	1	240	35
292	भूपेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपुत	359	1	241	70
293	गजराजसिंह पिता अमरसिंह राजपुत	359	1	242	70
294	दादुसिंह जगदीश पिता अमरसिंह राजपुत	359	1	243	159
295	इंदरसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत	359	1	244	323
296	भूपेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपुत	359	1	245	31
297	चंदरसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत	359	1	246	57
298	सौदानसिंह पिता सौभागसिंह राजपुत	359, 406	1	293	475
299	तेजुबाई पिता नवलसिंह राजपुत	406	1	234	16
300	पारूबाई बेवा मानसिंह राजपुत	406	1	294	18
301	सोहनसिंह पिता मानसिंह राजपुत	406	1	295	23
302	अंतरसिंह पिता पर्वतसिंह राजपुत	406	1	297	66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
303	भंवरसिंह पिता नहारसिंह राजपुत	406	1	298	41
304	हुसैनखाँ कलन्दरखाँ, सिकन्दरखाँ पिता इमामखाँ पिंजारा	406	1	299	14
305	कन्या प्रा. वि. अतिरिक्त कक्ष शासकीय	456	1	372, 375	99
306	बालक मा. विद्यालय शासकीय	456	1	374	277
307	शिक्षक आवासगृह शासकीय	456	1	379	66
308	सेवा सहकारी संस्था	456, 457	1	382	492
309	ग्राम पंचायत भवन शासकीय	456, 358	1	388	133
310	दादुखाँ पिता मंगुखाँ पिंजारा	457	1	384	124
311	युनुसखान पिता इलाहीबक्श पिंजारा	457	1	385	67
योग . .				311	28275

परिशिष्ट-2

निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

अनु. क्र.	नाम मकान मालिक पिता का नाम	ख. नं.	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सार्वजनिक नाग मंदिर	173	मकान
2	रमेश पिता मोज्या बलाई	292	मकान
3	रेवाराम पिता लक्ष्मण बलाई	292	मकान
4	दीपक पिता मोहब्बत बलाई	292	मकान
5	गुलाबबाई बेवा मोहब्बत बलाई	292	मकान
6	जगदीश पिता करसन बलाई	292	मकान
7	करसन पिता पूंजन बलाई	292	मकान
8	कमलेश पिता ठाकुर बलाई	292	मकान
9	कमलसिंह पिता भारतसिंह राजपूत	425	मकान
10	भारतसिंह पिता भूरेसिंह राजपूत	176/1	मकान
11	रंजनाबाई पति श्यामसिंह राजपूत	182/1	मकान
12	आंगनवाड़ी भवन शासकीय	182/1	मकान
13	रेशमबाई पति कड़वा राजपूत	286	मकान
14	साधनाबाई तोताराम, बलाई	286	मकान
15	धमेन्द्र पिता तोताराम बलाई	286	मकान
16	अनिल पिता मोतीराम बलाई	294	मकान
17	गजानंद पिता भगवान बलाई	294	मकान
18	सीमाबाई पिता देवराम बलाई	295	मकान
19	कैलाश पिता मांगीलाल बलाई	295	मकान
20	संजय पिता देवराम बलाई	295	मकान
21	कालीबाई बेवा शंकर बलाई	295	मकान
22	रूकमणीबाई बेवा मोहन बलाई	295	मकान
23	रमेश पिता मोहन बलाई	295	मकान
24	कमलेश पिता आनंदराम बलाई	299	पशुबाड़ा
25	तोताराम पिता शोभाराम बलाई	299	मकान
26	नवलबाई पिता शोभाराम बलाई	299	मकान
27	आनंदराम पिता शोभाराम बलाई	299	मकान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	तोताराम, आनंदराम पिता शोभाराम बलाई		299		पशुबाड़ा
29	रामेश्वर पिता रूखडु बलाई		300		मकान
30	द्वारकीबाई बेवा कैलाश, बंटी पिता कैलाश, अ. पा. क. रामप्यारीबाई बेवा रूखडु बलाई.		300		मकान
31	मोज्या पिता बंश्या बलाई		304		मकान
32	दला पिता मंगा बलाई		304		मकान
33	भोल्या पिता कन्या बलाई		308		पशुबाड़ा
34	आनंदराम पिता परसराम बलाई		309		मकान
35	आत्माराम पिता परसराम बलाई		309		बिना दिवाल पशुबाड़ा
36	सुकलाल पिता कन्हैया		309		मकान
37	रमेश पिता कन्हैया बलाई		309		मकान
38	देवकीबाई पिता बापूसिंह राजपूत		316		पानी की टंकी
39	जयपालसिंह पिता देवेशिंह राजपूत		319/3		बिना दिवाल पशुबाड़ा
40	संतोष पिता उमराव बलाई		319/3		मकान
41	बबलू पिता उमराव बलाई		319/3		मकान
42	श्यामा पिता उमराव बलाई		319/3		मकान
43	विक्रमसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत		320		हौज
44	शोभाराम पिता दौला सुतार		324		मकान
45	लक्ष्मीबाई, शारदाबाई बेवा देवेशिंह दिगपाल पिता देवेशिंह अ. पा. क. लक्ष्मीबाई बेवा देवेशिंह राजपूत.		332		लेट्रिन, गौबरगैस
46	सरदारसिंह पिता भारतसिंह		332		गोबरगैस
47	गोरेलाल पिता भाउसिंह भील		332		मकान
48	प्रहलादसिंह पिता भंवरसिंह, विक्रमसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत		332		पशुबाड़ा, हौज, लेट्रिन बाथरूम
49	पदमसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत		332		बिना दिवाल पशुबाड़ा
50	टिकमसिंह पिता भोलूसिंह राजपूत		332		पशुबाड़ा
51	डोंगरसिंह पिता भोलूसिंह राजपूत		332		पशुबाड़ा
52	चंदरसिंह पिता शोभागसिंह राजपूत		332		मकान
53	भगवंतसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत		332		पशुबाड़ा
54.	तेजूबाई पिता मांगीलाल राजपूत		333, 334		पशुबाड़ा
55	हरेसिंह पिता गप्पूसिंह राजपूत		333, 334		मकान
56	रामसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत		333, 334		मकान
57	तेजकुंवरबाई बेवा भोलूसिंह मेहताबसिंह पिता भोलूसिंह राजपूत		333, 334		मकान
58	दौलतसिंह पिता कनकसिंह राजपूत		333, 334		मकान
59	जगदीश पिता चंदरसिंह राजपूत		333, 334		मकान
60	अंतरसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत		335		पशुबाड़ा
61	मानसिंह पिता रामसिंह राजपूत		335		पशुबाड़ा
62	इंदरसिंह पिता राजेसिंह राजपूत		340/2		मकान
63	कमलसिंह पिता अनारसिंह राजपूत		341		पशुबाड़ा, हौज
64	रामसिंह पिता अमरसिंह राजपूत		341		पशुबाड़ा, हौज
65	देवेन्द्रसिंह पिता केसरेसिंह राजपूत		345/1		पशुबाड़ा
66	रामसिंह पिता शोभागसिंह राजपूत		345/2		पशुबाड़ा
67	भगवंतसिंह पिता अनारसिंह राजपूत		360		गोबरगैस कुंआ पक्का
68	जगदेवसिंह पिता चंदरसिंह राजपूत		360		गोबरगैस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69	नरेन्द्रसिंह पिता चंद्रसिंह राजपूत		360		गोबरगैस
70	इंदरसिंह पिता भूरेसिंह राजपूत		362	दिवार परकोटा, खुला पशुबाड़ा	
71	शंकरसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत		363		मकान
72	हरेसिंह पिता गण्डुसिंह राजपूत		363		मकान
73	उदयसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत		363		मकान
74	बलरामसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत		363		मकान
75	जगदीशसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत		363		मकान
76	ईश्वरसिंह पिता तरवरसिंह राजपूत		369	पशुबाड़ा, हौज, घुवाण	
77	मोहनसिंह पिता मोतेसिंह राजपूत		370/1	गोबर गैस	
78	हरेसिंह पिता शोभागसिंह राजपूत		370/2	कुंआ 1/2 में शंकरसिंह.	
79	दुलेसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत		372	हौज, पक्की घुवाण, कुंआ, पक्का, पाईप लाईन ग्राम में.	
80	भगवानसिंह पिता गणपतसिंह राजपूत		375, 376	बिना दिवाल पशुबाड़ा	
81	रामसिंह पिता रतनसिंह राजपूत		380	पशुबाड़ा	
82	उदयसिंह पिता रूखडूसिंह राजपूत		385	पशुबाड़ा, हौज	
83	भूपेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपूत		398	पशुबाड़ा, पानी की टंकी	
84	प्रतापसिंह पिता शेरसिंह राजपूत		400	पानी की टंकी, लेट्रिन गोबरगैस	
85	लोकेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह राजपूत		402	नाग डेरी	
86	रंजनाबाई पति श्यामसिंह, राजपूत		403	पशुबाड़ा, पानी का हौज	
87	जसवंतसिंह पिता कालूसिंह राजपूत		404	लेट बाथरूम, घुवाण	
88	विजय अजय पिता राघोराम भारूड		409	बिना दिवाल	
89	नरेन्द्रसिंह पिता दातारसिंह राजपूत		413	पशुबाड़ा	
90	जितेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह राजपूत		413	मकान	
91	भंवरसिंह पिता नहारसिंह राजपूत		413	मकान	
92	करणसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत		413	मकान	
93	कनकसिंह पिता मौतेसिंह राजपूत		420/2	पशुबाड़ा, लेट्रिन	
94	चंद्रसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत		426	लेट्रिन, बाथरूम	
95	गब्बर सिंह मुंशी मुंडा		426	मकान	
96	रामसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत		430	मकान	
97	नरेंद्रसिंह पिता दातारसिंह राजपूत		430	पशुबाड़ा	
98	गजराजसिंह पिता साहेबसिंह राजपूत		434	मकान	
99	मेवालाल पिता ठाकुर भील		434	मकान	
100	अकलीम खां पिता गफ्फार खां मुंडा		434	मकान	
101	रुकसाना बेवा इशाक खाँ मुंडा		434	मकान	
102	गफ्फार खाँ पिता नबी खाँ मुंडा		434	मकान	
103	फाजल खां पिता अजमेरी खां पिंजारा		446	पशुबाड़ा	
104	जाकीर खां पिता अजमेरी खां पिंजारा		446	पशुबाड़ा	
105	जसवंतसिंह पिता रतनसिंह राजपूत		447	पशुबाड़ा	
106	पीरू खां पिता नबी खां मुंडा		450/1	पशुबाड़ा	
107	इस्माईल खां पिता पीरू खां मुंडा		450/1	मकान	
108	फिरोज खां पिता पीरू खां मुंडा		450/1	मकान	
109	योगेन्द्रसिंह पिता बादामसिंह राजपूत		451/2	मकान	

परिशिष्ट-3

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

अनु. क्र. (1)	ख. नं. (2)	मद (3)	संपत्ति का विवरण (4)
1	268/1	नि.चरागाह	सार्वजनिक पशु पानी पीने का हौज-1
2	284	ना. का. चरनोई	मकान-1
3	348	रास्ता	मकान-2
4	461	नि. चरागाह	कुंआ पक्का-1, सार्वजनिक दरगाह-1, माता की झीरी-1, मोटरघर-1, कब्रिस्तान-1 (मुस्लिम सह समाज ईदगाह) मकान-1.
		कुल	सार्वजनिक पशु पानी पीने का हौज-1, मकान-4, कुंआ पक्का-1, सार्वजनिक, दरगाह-1, माता की झीरी-1, मोटरघर-1, कब्रिस्तान-1 (मुस्लिम सह समाज ईदगाह).

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-22/2010/सात-2ए, भोपाल दिनांक 29-10-2010 द्वारा भू-अर्जन की शर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.—

- कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2, 3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदान करेगा जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा—
 - महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम अमलाथा-ii की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
2. कंपनी (इस आशय के करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
4. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
 - (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
 - (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
 - (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
 - (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरालाल मण्डलोई

पता : 220, बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

पता : स्वर्णकार कालोनी खरगोन

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(नवनीत मोहन कोठारी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2011-12-362.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	24	701.50
2	बुरहानपुर	शाहपुर	15	113.20
3	बुरहानपुर	दर्यापुर	39	1019.90
4	बुरहानपुर	खकनार	26	785.80
5	बुरहानपुर	तुकईथड	26	484.20
6	बुरहानपुर	हैदरपुर	33	1600.40
7	खण्डवा	पंधाना	22	205.50
8	खण्डवा	पुनासा	6	25.20
9	खण्डवा	खण्डवा	24	89.40
10	खण्डवा	हरसूद	5	22.90

योग : 220 5048.00

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
नवलनगर 450223, जिला बुरहानपुर (म. प्र.)

रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र

अ.क्र.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टेयर में)			
				रोपा	जड़ी (दूरी)	तिरी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	बुरहानपुर	बुरहानपुर					
1			बोरगांव खुर्द	44.500	53.400	9.100	107.000
2			बाडाबुजुर्ग	3.300	3.000	0.000	6.300
3			चिंचाला	1.000	2.600	0.000	3.600
4			ऐमागिर्द	3.700	5.400	0.000	9.100
5			फतेहपुर	13.700	13.400	8.500	35.600
6			पातोंडा	0.000	0.700	0.000	0.700
7			रहीपुरा (बुरहानपुर)	10.600	5.900	0.000	16.500
8			लोधीपुरा	0.000	0.800	0.000	0.800
			योग : बुरहानपुर	76.800	85.200	17.600	179.600
		बहादरपुर					
9			बहादरपुर	1.700	1.500	0.000	3.200
10			बिरोदा	2.700	0.000	0.000	2.700
11			हतनूर	4.000	3.200	0.000	7.200
12			लोनी	1.200	0.000	0.000	1.200
13			मोहम्मदपुरा	2.300	6.800	0.000	9.100
			योग : बहादरपुर	11.900	11.500	0.000	23.400
		निम्बोला					
14			बोरी खुर्द	20.400	11.200	4.600	36.200
15			बसाड़	2.700	2.300	0.000	5.000
16			चुलखान	44.100	36.600	12.900	93.600
17			मगरूल	54.600	50.600	3.900	109.100
18			मचलपुरा	10.500	6.500	1.900	18.900
19			निम्बोला	17.900	16.600	2.700	37.200
20			नसीराबाद	64.400	44.600	9.700	118.700
21			निम्ना	7.700	3.600	0.000	11.300
22			रहीपुरा (निम्बोला)	4.000	8.300	2.200	14.500
23			झीरी	13.900	19.400	6.300	39.600
24			झांझर	6.600	6.900	0.900	14.400
			योग : निम्बोला	246.800	206.600	45.100	498.500
			योग : बुरहानपुर	335.500	303.300	62.700	701.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	शाहपुर	शाहपुर					
25			बम्भाडा	2.400	1.000	0.000	3.400
26			बक्खारी	1.300	0.000	0.000	1.300
27			बादखेड़ा (नाचनखेड़ा)	2.500	3.300	1.200	7.000
28			शाहपुर	6.000	4.800	0.000	10.800
29			सिरसोदा	4.800	0.000	0.000	4.800
			योग : शाहपुर	17.000	9.100	1.200	27.300
		फोपनार					
30			फोपनार	1.000	6.800	0.000	7.800
31			खारी	1.000	0.800	0.000	1.800
32			पिपरी	0.000	2.200	0.000	2.200
33			संग्रामपुर	2.000	1.000	0.000	3.000
34			तुरकगुराड़ा	2.600	2.000	0.000	4.600
			योग : फोपनार	6.600	12.800	0.000	19.400
		चापोरा					
35			भोटा	2.000	3.600	0.000	5.600
36			दापोरा	0.000	4.300	0.000	4.300
37			धामनगांव	8.700	12.300	0.000	21.000
38			इच्छापुर	11.600	16.300	0.000	27.900
39			वारोली	6.300	1.400	0.000	7.700
			योग : चापोरा	28.600	37.900	0.000	66.500
			योग : शाहपुर	52.200	59.800	1.200	113.200
	दर्यापुर	दर्यापुर					
40			बड़गांव (गुलई)	9.300	15.800	0.800	25.900
41			दर्यापुर	48.700	32.200	1.300	82.200
42			जैनाबाद	74.200	51.700	12.800	138.700
43			खडकोद	8.200	4.800	0.000	13.000
44			मोरदड	0.000	0.900	0.000	0.900
45			टिटगांवखुर्द	6.300	8.300	0.000	14.600
			योग : दर्यापुर	146.700	113.700	14.900	275.300
		बोदरली					
46			बोदरली	0.000	2.500	0.000	2.500
47			बडझीरी	8.000	6.700	0.000	14.700
48			डोंगरगांव (बोदरली)	1.500	1.500	0.000	3.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49		बोदरली	देव्हारी	1.300	0.000	0.000	1.300
50			जसौंदी	0.700	2.000	0.000	2.700
51			पिपलगांव	3.900	4.900	0.000	8.800
52			रायसेना	1.800	0.000	0.000	1.800
53			तारापाटी	3.200	0.000	0.000	3.200
54			झापरपुरा	0.800	0.800	0.000	1.600
			योग : बोदरली	21.200	18.400	0.000	39.600
		सारोला					
55			एकलारा	15.500	4.800	0.600	20.900
56			हनुमंतखेड़ा	11.800	6.800	0.000	18.600
57			सारोला	41.300	49.400	1.800	92.500
58			टिटगांवकला	40.700	32.700	0.800	74.200
59			उमरदा	16.100	14.200	1.400	31.700
			योग : सारोला	125.400	107.900	4.600	237.900
		अम्बाडा					
60			अम्बाडा	23.300	7.100	0.000	30.400
61			बाडाजैनाबाद	4.100	3.100	0.000	7.200
62			भानमोड़िया	0.700	0.800	0.000	1.500
63			देवरी	14.500	9.600	2.000	26.100
64			हिंगना	14.100	10.700	0.800	25.600
65			लिंगा	2.800	0.000	0.000	2.800
66			नेवरी	9.800	11.500	0.000	21.300
67			सांडसकला	6.700	4.600	0.000	11.300
68			शंकरपुरा	0.400	0.600	0.000	1.000
69			सांडसखुर्द	11.600	2.400	0.000	14.000
			योग : अम्बाडा	88.000	50.400	2.800	141.200
		सिरपुर					
70			हसीनाबाद	1.500	4.000	0.000	5.500
71			खैरखेड़ा	2.800	3.100	0.000	5.900
72			निम्बापुर	18.200	11.700	1.900	31.800
73			नांदखेड़ा	8.200	2.900	0.000	11.100
74			सिरपुर	25.300	15.300	3.100	43.700
			योग : सिरपुर	56.000	37.000	5.000	98.000
		सिंधखेड़ा					
75			गुलई	2.600	8.100	0.000	10.700
76			महलगुराड़ा	33.400	38.200	1.100	72.700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
77			सिंधखेड़ा	71.700	58.000	0.900	130.600
78			हनुमंतखेड़ा-अ	6.800	6.700	0.400	13.900
			योग : सिंधखेड़ा	114.500	111.000	2.400	227.900
			योग : दर्यापुर	551.800	438.400	29.700	1019.900
	खकनार	खकनार					
79			भैराघाट	3.000	1.400	0.000	4.400
80			धाबा	25.600	28.700	0.500	54.800
81			जामन्या	27.800	29.700	0.000	57.500
82			खकनार	38.800	34.800	0.700	74.300
83			खकनार खुर्द	13.000	16.700	0.000	29.700
84			पांगरी	14.400	7.000	0.000	21.400
			योग : खकनार	122.600	118.300	1.200	242.100
		डोईफोडीया					
85			बसाली	10.500	9.300	0.000	19.800
86			डोईफोडिया	3.900	7.000	0.200	11.100
87			कारखेड़ा	19.700	17.700	0.000	37.400
88			नांदुरा खुर्द	3.000	0.000	0.000	3.000
89			नांदुरा कला	2.800	1.700	0.000	4.500
90			नागझिरी	1.000	2.400	0.000	3.400
91			साईखेड़ा (डोईफोडीया)	3.100	5.000	0.000	8.100
92			ताजनापुर	5.000	5.700	0.000	10.700
			योग : डोईफोडीया	49.000	48.800	0.200	98.000
		मांजरोद					
93			बिजोरी	24.300	30.500	5.100	59.900
94			दसघाट	19.300	16.100	5.300	40.700
95			कानापुर	13.800	8.800	2.700	25.300
96			मांजरोद कला	28.300	55.100	11.700	95.100
97			मांजरोद खुर्द	25.700	19.400	7.300	52.400
98			टेंभी	1.400	6.100	0.400	7.900
			योग : मांजरोद	112.800	136.000	32.500	281.300
		शेखापुर					
99			खडकी	3.500	2.200	0.000	5.700
100			मोहनगढ़	5.100	8.300	0.500	13.900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
101		शेखापुर	निमंदड़	12.800	8.400	0.000	21.200
102			रघई	15.200	25.900	1.000	42.100
103			सावली	16.400	12.400	0.800	29.600
104			शेखापुर	15.200	35.100	1.600	51.900
			योग : शेखापुर	68.200	92.300	3.900	164.400
			योग : खकनार	352.600	395.400	37.800	785.800
	तुकईथड़	तुकईथड़					
105			चिड़ियामाल	4.100	2.400	0.000	6.500
106			खोदरी	8.500	5.600	9.100	23.200
107			मोन्द्रा	12.900	14.500	5.600	33.000
108			मेलचुका	6.600	6.400	2.000	15.000
109			पीपलपानी	17.000	31.200	8.100	56.300
110			रावतलाई	5.800	11.400	2.900	20.100
111			रामधड़	4.200	11.400	0.000	15.600
112			तुकईथड़	23.500	34.900	10.000	68.400
113			झिरमिटी	1.900	4.400	0.000	6.300
114			पांढरी	2.100	0.800	0.000	2.900
			योग : तुकईथड़	86.600	123.000	37.700	247.300
		देडतलाई					
115			बालापाट	2.800	2.700	0.000	5.500
116			पीपरी बोरबन	11.500	7.300	2.400	21.200
117			देडतलाई	1.300	1.500	0.000	2.800
118			धार (बेलथड़)	34.900	46.600	12.700	94.200
119			सागमली	16.500	13.100	1.900	31.500
120			सातोड	0.000	1.300	0.000	1.300
121			चौखंडा	3.900	0.000	0.600	4.500
			योग : देडतलाई	70.900	72.500	17.600	161.000
		शेखपुरा					
122			दाहिन्दा	10.600	3.700	2.000	16.300
123			दैय्यत	13.900	10.400	1.900	26.200
124			डवाली	0.000	0.600	0.000	0.600
125			गोद्री	0.000	1.200	1.500	2.700
126			परेठा	5.100	1.400	0.000	6.500
127			रायपुर	0.000	1.000	0.000	1.000
128			साजनी	4.900	4.200	1.800	10.900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
129			संधवाल	2.500	3.300	1.100	6.900
130			शेखपुरा	1.400	3.400	0.000	4.800
			योग : शेखपुरा	38.400	29.200	8.300	75.900
			योग : तुकईथड़	195.900	224.700	63.600	484.200
	हैदरपुर	हैदरपुर					
131			डालमहू	13.600	8.100	0.000	21.700
132			घाघरला	28.900	29.500	0.000	58.400
133			हैदरपुर	66.100	20.800	0.000	86.900
134			हिवरा	32.400	15.800	0.000	48.200
			योग : हैदरपुर	141.000	74.200	0.000	215.200
		डाभियाखेड़ा					
135			बडीखेड़ा	96.200	37.000	2.300	135.500
136			डाभियाखेड़ा	38.600	24.600	0.000	63.200
137			पांचइमली	18.900	5.900	0.000	24.800
			योग : डाभियाखेड़ा	153.700	67.500	2.300	223.500
		नावरा-ए					
138			नावरा	51.000	20.700	1.400	73.100
139			रहमानपुरा	20.600	17.000	1.600	39.200
140			सिंधखेड़ा (नावरा)	9.500	8.000	0.000	17.500
			योग : नावरा-ए	81.100	45.700	3.000	129.800
		नावरा-बी					
141			अमुल्ला	0.900	0.000	0.000	0.900
142			दुधिया	30.600	29.100	0.000	59.700
143			दर्यापुर (नावरा)	10.500	5.000	0.000	15.500
144			गोराडिया	27.200	30.600	0.000	57.800
145			गोलखेड़ा	14.100	9.000	0.500	23.600
146			केरपानी	39.900	16.900	0.000	56.800
147			मचगांव	4.000	3.800	0.000	7.800
148			नयाखेड़ा	8.200	14.400	0.000	22.600
149			रत्नापुर	4.700	3.700	0.000	8.400
			योग : नावरा-बी	140.100	112.500	0.500	253.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		नेपानगर-ए					
150			अंधारबाडी	61.300	53.200	5.800	120.300
151			भातखेड़ा (सीवल)	32.100	29.900	2.700	64.700
152			बीड़ (नेपा)	1.800	0.000	0.000	1.800
153			सातपायरी	39.900	30.800	0.000	70.700
			योग : नेपानगर-ए	135.100	113.900	8.500	257.500
		सीवल					
154			बदनापुर	35.700	26.400	0.000	62.100
155			बाकड़ी	0.000	0.500	0.000	0.500
156			सीवल	58.300	31.900	0.500	90.700
			योग : सीवल	94.000	58.800	0.500	153.300
		पलासुर					
157			पलासुर	83.200	35.800	3.000	122.000
158			साईखेड़ा (सीवल)	103.900	47.100	0.000	151.000
			योग : पलासुर	187.100	82.900	3.000	273.000
		नेपानगर-बी					
159			बोरसल (चांदनी)	8.000	9.600	0.000	17.600
160			चांदनी	1.900	6.100	1.400	9.400
161			डवाली	7.200	5.500	0.000	12.700
162			नावथा	25.100	24.100	0.000	49.200
163			रतागढ़	4.000	2.100	0.000	6.100
			योग : नेपानगर-बी	46.200	47.400	1.400	95.000
			योग : हैदरपुर	978.300	602.900	19.200	1600.400
	पंधाना	आरुद					
164			आरुद	31.200	13.200	1.200	45.600
165			अंजनगांव	3.300	3.600	0.000	11.900
166			धनोरा	5.900	2.600	0.000	8.500
167			हीरापुर	5.800	2.500	0.000	8.300
168			कालंका	0.800	0.000	0.000	0.800
169			पंधाना	0.400	0.900	0.000	1.300
170			बाबली	1.900	0.000	0.000	1.900
171			गोराडीया	0.200	0.000	0.000	0.200
172			खेडीतपेघाटी (घाटाख)	1.600	0.000	0.000	1.600
			योग : आरुद	56.100	22.800	1.200	80.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		कुमठी					
173			बलरामपुर	0.000	3.400	0.000	3.400
174			बांदरला	0.000	1.600	0.000	1.600
175			कुमठी	2.400	6.000	0.000	8.400
176			पचम्बा	2.000	4.000	0.000	6.000
177			पावईकला	7.200	1.000	0.000	8.200
178			रूस्तमपुर	1.600	0.200	0.000	1.800
			योग : कुमठी	13.200	16.200	0.000	29.400
		बोरगांव बुजुर्ग					
179			बोरगांव बुजुर्ग	5.500	4.800	0.000	10.300
180			हेमगीर	17.500	13.400	0.000	30.900
181			इस्लामपुर	1.000	0.500	0.000	1.500
182			जामठी	0.000	1.600	0.000	1.600
183			खिराला	2.800	2.600	0.000	5.400
184			पिपरहट्टी	24.200	16.700	0.000	40.900
185			राजोरा	0.000	4.200	1,200	5.400
			योग : बोरगांव बुजुर्ग	51.000	43.800	1.200	96.000
			योग : पंधाना	120.300	82.800	2.400	205.500
	पुनासा	पुनासा					
186			अटूटखास	0.000	3.600	1.200	4.800
187			धारकवाड़ी	1.600	3.000	0.000	4.600
188			खेड़ीबुजुर्ग	1.600	2.000	1.600	5.200
189			मुन्दी	1.200	2.600	0.000	3.800
			योग : पुनासा	7.600	13.600	2.800	18.400
		सुलगांव					
190			हरवंशपुरा	1.800	2.000	0.000	3.800
191			टेमाचा	2.000	1.000	0.000	3.000
			योग : सुलगांव	5.800	7.600	0.800	6.800
			योग : पुनासा	13.400	21.200	3.600	25.20
	खण्डवा	खण्डवा					
192			जसवाड़ी	1.300	4.800	0.000	6.100
193			खण्डवा	1.000	0.000	0.000	1.000
194			ललबाड़ा	3.500	1.800	0.000	5.300
195			शेखपुरा	2.600	2.800	0.000	5.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
196			जामलीकला	1.200	0.000	0.000	1.200
			योग : खण्डवा	9.600	9.400	0.000	19.000
			सिंगोट				
197			अम्बापाट	0.400	2.000	0.400	2.800
198			भगवानपुरा	2.000	0.000	0.000	2.000
199			खिड़गांव	4.300	2.500	0.000	6.800
200			कालपाट (गान्धवा)	0.000	4.200	0.000	4.200
201			लछोरा खुर्द	1.100	4.800	0.000	5.900
202			पिपल्याकला	2.000	1.000	0.000	3.000
203			रामपुरकला	1.000	2.000	0.000	3.000
204			सिंगोट	2.500	2.000	0.000	4.500
205			सेमल्या (हांडीया)	1.400	1.000	0.000	2.400
206			धनोरा	0.000	1.000	0.000	1.000
207			चिचखेड़ा	0.000	1.400	1.000	2.400
208			बोरखेड़ा खुर्द	0.000	1.200	0.000	1.200
			योग : सिंगोट	14.700	23.100	1.400	39.200
			छैगांवमाखन				
209			बरूड	5.000	7.400	0.000	12.400
210			भोजाखेड़ी	0.500	3.200	0.000	3.700
211			डाभी	3.000	0.000	0.000	3.000
212			कोंडावद	3.100	1.800	0.000	4.900
213			खारवा	0.600	2.900	0.000	3.500
214			निहालवाड़ी	0.400	2.400	0.000	2.800
215			सुल्याखेड़ी	0.400	0.500	0.000	0.900
			योग : छैगांवमाखन	13.000	18.200	0.000	31.200
			योग : खण्डवा	37.300	50.700	1.400	89.400
	हरसूद	हरसूद					
216			खालबा	1.000	0.000	0.000	1.000
217			मांडला	1.900	0.000	0.000	1.900
218			सहेजला	0.000	0.800	0.000	0.800
219			सुरगांव बंजारी	3.100	3.100	0.000	6.200
220			उन्डेल	9.600	3.400	0.000	13.000
			योग : हरसूद	15.600	7.300	0.000	22.900
			योग : हरसूद	15.600	7.300	0.000	22.900
			कुल योग :	2652.900	2186.500	221.600	5048.00

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

प्रकरण क्र. 9-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत			सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल एकड़ में			का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	खसरा नम्बर	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा	(6)	
रायसेन	गोहरगंज	भियांपुर	199	0.530	0.530	अधीक्षक पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल.	पर्यटकों की सुविधा एवं व्यवस्था केन्द्र जनजातीय हेरिटेजल पार्क पर्यटक वाहन स्थानक कार्य शाला प्रदर्शन स्थल इत्यादि उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्रबंध करने हेतु.
			200/1	0.449	0.449		
			200/2	0.449	0.449		
			200/3	0.450	0.450		
			206/1	0.526	0.526		
			206/2	0.498	0.498		
			207	0.809	0.809		
			कुल योग	3.711	3.711		

टीप :- भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. 2346-भू-अर्जन-नहर-2011 प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक

है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	बिलवा रोड	1.055	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:— भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प/इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) ठीकरी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 1 नवम्बर 2011

शुद्धि-पत्र

क्र. 536-भू-अर्जन-नहर-2011.— से कार्यालय, कलेक्टर जिला बड़वानी की अधिसूचना क्रमांक-1650-भू-अर्जन-नहर-2011, दिनांक 27-8-2011 प्रकरण क्रमांक 33 अ-82-/2010-11 जिला बड़वानी, ग्राम दतवाड़ा का धारा-4(1) का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 16-9-2011 में पृष्ठ क्रमांक 3318 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश 7.679 हेक्टर के स्थान पर 7.676 हेक्टर प्रकाशित हो गया है, जिसे संशोधित कर 7.679 हेक्टर पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्र. क्यू-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	नागदा	भगतपुरी	0.36	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागदा.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनोदा जावरा बी.ओ.टी. मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भगतपुरी का अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 9 नवम्बर 2011

पत्र क्र. 239-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नौगवां	2.04	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 241-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार

इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पौड़ी	2.00	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 243-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	भोलगढ़	3.91	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 245-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	मिर्चवार	7.36	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 247-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	सेमरिया	0.76	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 249-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	झगरहा	1.56	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 251-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	भमरहा	1.67	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 253-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	मनकीसर कोठार	0.72	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 255-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	पुरुषोत्तमगढ़	1.72	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 257-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	कुबरी	15.92	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 259-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	देवगढ़	1.32	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 261-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	बढौरा	2.26	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 263-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद-बनास	ओबरहा	1.87	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 265-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	हनुमानगढ़	10.71	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 267-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बेल्दह	7.08	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 269-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	अकोरी	8.70	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 271-भू-अर्जन-2011.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	धनगवां	6.48	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 273-भू-अर्जन-2011.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बोकरों	13.08	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 275-भू-अर्जन-2011.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	रामगढ़	0.91	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 277-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मनकीसर	13.11	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 279-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	करनपुर	4.99	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 281-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	ठकुरदेवा	2.07	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 283-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कोल्हुआ	2.10	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	शाखा नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2011-संशोधित अधिसूचना.—पृ.क्र. क्यू-भू-अर्जन-2011 दिनांक 30-6-2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में सुनाज तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम सुनाज तहसील कोलारस में स्थित अशासकीय भूमि 98.448 हेक्टर अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) के तहत दिनांक 30-6-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15-7-2011 को पृष्ठ क्रमांक 2539 से 2543 पर तथा समाचार पत्र सत्ता सुधार दिनांक 16-7-2011 एवं समाचार पत्र दैनिक मध्यराज दिनांक 16-7-2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 15853/11 है :—

ग्राम सुनाज तहसील कोलारस जिला शिवपुरी संशोधित पृविष्टि

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
364	0.062	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
365	0.138	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
869	0.11	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
1032	0.164	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
1646	0.068	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
1832	0.109	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
2123	0.09	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
2137/2	1.09	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
1762	0.02	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
1951	0.016	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
1225	0.085	पूर्व में प्रकाशित	पढ़ा जावे
1883	1.699	पूर्व में प्रकाशित	पढ़ा जावे
880	0.10	नवीन प्रस्तावित	
1036	0.18	नवीन प्रस्तावित	
464	0.02	नवीन प्रस्तावित	
280	0.03	नवीन प्रस्तावित	
1586	0.15	नवीन प्रस्तावित	

1662	0.08	नवीन प्रस्तावित
263	0.02	नवीन प्रस्तावित
264	0.05	नवीन प्रस्तावित
265	0.12	नवीन प्रस्तावित
1635	0.05	नवीन प्रस्तावित
2160	0.45	नवीन प्रस्तावित
2161	1.00	नवीन प्रस्तावित
2162	0.33	नवीन प्रस्तावित
2163	0.30	नवीन प्रस्तावित
2164	0.32	नवीन प्रस्तावित
2165	1.25	नवीन प्रस्तावित
2166	1.57	नवीन प्रस्तावित
2173	0.50	नवीन प्रस्तावित
2155	0.15	नवीन प्रस्तावित
2182	0.09	नवीन प्रस्तावित
2121	0.20	नवीन प्रस्तावित
253	0.083	नवीन प्रस्तावित
2166/2298	0.43	नवीन प्रस्तावित
1179	0.038	नवीन प्रस्तावित
कुल योग. .	<u>104.092</u>	

पूर्व प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे. शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

जॉन किंग्सली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 5453-भू-अर्जन-2011-प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	1. डेहरी 2. जोगी पिपल्या कुल रकबा . .	1.245 1.144 <u>2.389</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	पेलादड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 14 नवम्बर 2011

शुद्धि पत्र

नस्ती क्र. 69-2011-एल.ए.-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44-अ-82-10-11.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग हेतु ग्राम बीड़, तहसील खंडवा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27 मई 2011 को बी.पी.एन. टाईम्स में दिनांक 16 मई 2011 को, चौथा संसार में दिनांक 15 मई 2011 को एवं ग्राम चौपाल पर आम इशतिहार का प्रकाशन दिनांक 26 मई 2011 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा हे.में.	खसरा नंबर	रकबा हे.में.
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 27 मई 2011	159	0.05	159/1	0.05
	160	0.36	160/1	0.36
बी.पी.एन. टाईम्स दिनांक 16 मई 2011	159	0.05	159/1	0.05
	160	0.36	160/1	0.36
चौथा संसार दिनांक 15 मई 2011	159	0.05	159/1	0.05
	160	0.36	160/1	0.36

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.13 हेक्टेयर यथावत रहेगा.

शुद्धि पत्र

नस्ती क्र. 73-2011-एल.ए.-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46-अ-82-10-11.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग हेतु ग्राम गोरडिया, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27 मई 2011 को दैनिक जागरण में दिनांक 15 मई 2011 को, नई दुनिया में दिनांक 15 मई 2011 को एवं ग्राम चौपाल पर आम इशतिहार का प्रकाशन दिनांक 26 मई 2011 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा हे.में.	खसरा नंबर	रकबा हे.में.
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 27 मई 2011	178/1	0.03	विलोपित	-
	178/2	0.07	विलोपित	-
दैनिक जागरण दिनांक 15 मई 2011	178/4	0.03	178/4	0.06
	-	-	178/5	0.05
नई दुनिया दिनांक 15 मई 2011	-	-	178/6	0.02
	179/1	0.11	179/1	0.35
	179/2	0.24	विलोपित	-

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 13.72 हेक्टेयर यथावत रहेगा.

शुद्धि पत्र

नस्ती क्र. 68-2011-एल.ए.-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47-अ-82-10-11.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग हेतु ग्राम भैंसावा, तहसील खंडवा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27 मई 2011 को पत्रिका में दिनांक 15 मई 2011 को, राज एक्सप्रेस में दिनांक 15 मई 2011 को एवं ग्राम चौपाल पर आम इशतिहार का प्रकाशन दिनांक 21 मई 2011 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा हे.में.	खसरा नंबर	रकबा हे.में.
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1	510	0.20	510	0.55
दिनांक 27 मई 2011	511	0.05	511	0.35
	512	0.33	512	0.15
पत्रिका	513/2	0.75	513/2	0.15
दिनांक 15 मई 2011	530	0.02	530	0.59
	532/1	0.77	532/1	0.75
राज एक्सप्रेस	532/2	0.69	532/2	0.50
दिनांक 15 मई 2011	533/1	0.75	533/1	0.59
	533/2	0.12	533/2	0.05

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 15.95 हेक्टेयर यथावत रहेगा.

शुद्धि पत्र

नस्ती क्र. 67-2011-एल.ए.-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48-अ-82-10-11.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग हेतु ग्राम सहेजला, तहसील खंडवा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27 मई 2011 को स्वदेश में दिनांक 15 मई 2011 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 15 मई 2011 को एवं ग्राम चौपाल पर आम इशतिहार का प्रकाशन दिनांक 21 मई 2011 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा हे.में.	खसरा नंबर	रकबा हे.में.
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1	196/1	0.35	196/1	0.11
दिनांक 27 मई 2011	-	-	196/4	0.12
	-	-	196/5	0.12
स्वदेश	201/4	0.17	201/1	0.17
दिनांक 15 मई 2011	642/1	0.06	642/1	0.15
	643	0.02	643	0.24
दैनिक भास्कर	644/1	0.79	विलोपित	-
दिनांक 15 मई 2011	644/2	0.10	644/2	0.58

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 17.61 हेक्टेयर यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. 1901-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	भीटा	4.752	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1903-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	सुवरहा	3.456	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1905-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	मनिकवार	4.320	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1907-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	अटरा	4.224	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1909-भू-अर्जन-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	इटहाकला	7.440	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1911-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	मझिगंवा	4.032	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1913-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	जोधपुर	4.800	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1915-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पलियादुबे	10.368	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 1945-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	हरदी	6.960	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1947-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	अमवा	8.784	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1949-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	सतगढ़	2.592	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1951-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	ढाढर	6.000	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1953-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	भीर	5.328	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1955-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	पलिया	7.872	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1957-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	उलही कला	3.360	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 18 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	पाडोछा	8.131	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

प्र. क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	लायरा	0.640	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

प्र. क्र. 8-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	खिरिया तरफदार	2.922	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

प्र. क्र. 8-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	माडल	3.723	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

प्र. क्र. 9-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	बन्डोरा	0.971	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	अखाई	2.020	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

प्र. क्र. -अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	लचायरा	3.386	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

प्र. क्र. -अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	जरहा	1.558	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

प्र. क्र. -अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	कछौआ	2.139	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 9 अगस्त 2011

प्र.क्र. 24 अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—कुसमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.23 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हे. में)

(1)

(2)

322	में से	0.04
323	में से	0.12
326/1	में से	0.12
327	में से	0.23
328	में से	0.19
333/2	में से	0.08
334	में से	0.23
337/4	में से	0.04
337/5	में से	0.07
337/6	में से	0.10
338/1	में से	0.07
338/2	में से	0.06
340	में से	0.08
342/1	में से	0.08
343	में से	0.12

(1)	(2)
344/1	में से 0.14
345	में से 0.29
347	में से 0.08
348/1	में से 0.12
348/2	में से 0.01
351	में से 0.18
353/1	में से 0.24
358	में से 0.18
350/1	में से 0.06
350/2	में से 0.05
350/3	में से 0.06
350/4	में से 0.06
350/5	में से 0.06
350/6	में से 0.06
362/1	में से 0.04
363	में से 0.02
364	में से 0.03
542	में से 0.10
543	में से 0.06
544/2	में से 0.03
556/1	में से 0.17
355/1	में से 0.20
355/2	में से 0.22
372	में से 0.03
371/1	में से 0.05
370/3	में से 0.10
407	में से 0.01
408	में से 0.02
411	में से 0.08
410	में से 0.06
422	में से 0.02
424	में से 0.02
428/3	में से 0.06
399	में से 0.02
397	में से 0.04

(1)	(2)
396 में से	0.03
395 में से	0.02
446 में से	0.06
303 में से	0.06
302 में से	0.02
296 में से	0.02
294/2 में से	0.02
286 में से	0.02
293 में से	0.01
268/1 में से	0.03
267 मं से	0.04
186 में से	0.02
187 में से	0.10
190 में से	0.12
192 में से	0.06
योग . .	<u>5.23</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.—कुसमी जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

दमोह, दिनांक 14 नवम्बर 2011

प्र.क्र. क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2011-3535.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

- (ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा
(ग) नगर/ग्राम—दुलहरा, पाठादों, सैलवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.42 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम-दुलहरा

21	2.00
योग . .	<u>2.00</u>

ग्राम-पाठादो

355 में से	0.15
374 में से	0.15
358 में से	0.15
359 में से	0.10
361 में से	0.17
259 में से	0.10
योग . .	<u>0.82</u>

ग्राम-सैलवाड़ा

210 में से	0.60
योग . .	<u>0.60</u>
महायोग . .	<u>3.42</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—गहरा नाला जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 8 नवम्बर 2011

क्र. 1645-भू-अर्जन-11-19-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 410-05-कोर्ट-11, इन्दौर, दिनांक 14 जून 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—भग्यापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—37.067 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	प्रभावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
219	3.116
220/1	1.214
220/2	0.842
220/3	1.259
220/4	0.543
223/1	1.660
223/2	1.027
225/1	2.242
226/1	3.906
226/2क	1.768
226/2ख	1.768
228/1	1.606
228/2	1.619
229	0.534
230/1	1.943
230/2	1.983
231/1	0.971
231/2	0.482
232	1.983
233/1	1.983
233/2	2.469
233/3	1.214
233/4	0.935
योग . .	37.067

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग के पुनर्बसाहट हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/ म.प्र.रा. वि.मं., मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1646-भू-अर्जन-11-18-अ 82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 409-05-कोर्ट-11, इन्दौर, दिनांक 14 जून 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बडवाह
(ग) ग्राम का नाम—जिरभार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—52.349 हेक्टर.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
98/1	1.062
98/2	1.062
99/1	1.504
99/2	1.064
99/3	0.405
100	1.457
101	2.225
102/1	0.575
102/2	0.809
103	0.611
104	1.833

(1)	(2)	(सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/ म.प्र.रा. वि.मं., मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
106/1	0.645	
106/2	0.809	
107/1	0.700	
107/2	0.700	
108/1	0.704	
108/2	0.700	
108/3	0.700	
109	0.930	
110/1	4.160	
110/2	2.081	
110/3	1.878	
110/4	0.202	
112/1	2.226	
112/2	3.339	
113/1	0.944	
113/2	1.647	
113/3	1.214	
114/2	1.881	
114/3	1.660	
114/4	1.477	
114/5	0.486	
114/9	0.081	
114/11	0.384	
114/13	0.308	
115/1	1.870	
115/2	0.957	
115/3	0.957	
116/1	1.437	
116/2	1.052	
116/4	0.364	
117/1	1.003	
117/2	1.214	
117/3	0.567	
117/5	0.465	
	योग . . .	
	<u>52.349</u>	

क्र. 1647-भू-अर्जन-11-19-अ 82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 406-05-कोर्ट-11, इन्दौर, दिनांक 14 जून 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बडवाह
(ग) ग्राम का नाम—शाहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—47.558 हेक्टर.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/1	1.619
1/2	1.558
2/1	0.688
2/2	0.688
3	2.023
4/1	0.182
4/3	0.562
5/1	0.267
5/3	0.514
6/1	1.331
6/3	0.567
7	0.697
8	2.225
9	1.295
10	1.295
11/1	1.417
11/2	0.902

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता

(1)	(2)
11/3	1.214
12/1	0.842
12/2	0.311
13/1	0.941
13/2	0.880
13/3	0.471
13/4	0.881
13/5	0.470
24/1	0.802
24/2	0.809
24/3	1.214
28	2.501
29	2.516
30	0.534
31	1.028
32	0.543
33	0.640
34/1	1.177
34/2	1.178
35/1	2.233
35/2	0.809
35/3	0.405
36	0.769
37	0.243
38/1	0.203
38/2	2.015
39/1	0.607
39/2	0.607
40	0.784
41	0.777
42	0.749
43	0.575

योग . . . 47.558

पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2011

रा.प्र.क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—बुरहानपुर
(ग) ग्राम—इच्छापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—52.33 हेक्टर. (तालाब कार्य)
6.16 हेक्टर (नहर कार्य)

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
तालाब कार्य	
1498	0.20
1500	0.05
1571/2	0.08
1574/1	0.72
1497/1	0.74
1493	0.62
1577	1.76
1494	1.15
1495	1.14
1496	1.81
1503	1.70
1497/2	0.50
1509	0.35
1507/1	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/ म.प्र.रा. वि.मं., मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल

(1)	(2)	(1)	(2)
1506	2.26	1311	2.00
1508	1.11	1313	0.60
1440	0.27	1374	0.22
1459	1.94	1372	0.36
1464	0.47	1376	0.35
1466	0.34	1368	0.16
1467	0.79	1441/1	0.44
1469	1.14	1373	0.20
1611	0.58	1571/4	0.15
1470	0.52	1507/2	0.81
1471	0.56		योग . . 52.33
1491	1.47		
1472/1	0.49		नहर कार्य
1472/2	0.49	1672	0.20
1477	0.27	1675/1	0.18
1472/3	0.49	1676	0.28
1473	1.05	1114	0.15
1481	1.77	1106/2	0.08
1482	0.84	1106/3	0.08
1483	0.61	1106/1	0.18
1484	1.41	1108	0.02
1610	0.75	898/2	0.26
1485	1.06	898/1	0.06
1486	0.99	897/2	0.08
1487	0.42	897/1	0.01
1488	0.35	895/2	0.07
1489/1	0.02	895/1	0.15
1489/2	0.39	911	0.11
1492	2.01	925/2	0.06
1575	0.54	922	0.10
1576	0.55	909	0.10
1579/1	0.93	912	0.03
1579/2	0.93	921	0.16
1605	0.70	940	0.07
1617	3.25	939	0.07
1620	0.32	944	0.14
1306/1	0.96	946	0.17
1618	0.93	947	0.10
1622	0.40	948	0.03
1623	0.45	974	0.12
1306/2	0.62	976	0.07

(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—देव्हारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु एवं नहर कार्य हेतु.	
1630	0.02			
1674/4	0.07			
1676	0.16	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1677	0.03			
1678	0.03			
1679	0.03			
1680	0.15			
874	0.17			
882	0.08			
886	0.06			
885	0.12			
857	0.06			
858/1	0.13			
856	0.12			
1104/2	0.12			
1104/1	0.10			
1098/1	0.12			
1092/1	0.04			
1092/4	0.04			
1093/1	0.05			
1093/2	0.04			
1093/3	0.04			
1093/4	0.04			
1076	0.16			
1079	0.04			
1105/1	0.07			
1105/2	0.05			
1106/2	0.01			
976	0.05			
977	0.06			
975	0.01			
642	0.08			
641/2	0.10			
640/1	0.03			
638	0.10			
636	0.10			
633	0.04			
632	0.07			
631	0.04			
619	0.06			
620	0.14			
योग . .	6.16			
			खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
			(1)	(2)
			ग्राम-रहीपुरा	
			49	0.23
			51	0.26
			90	1.37
			81/3	0.41
			89	0.20
			92/1	0.89
			92/2	0.89
			167/3	0.86
			164	0.25
			163/1	0.86
			170/1	0.35
			170/2	1.39
			योग . .	7.96
			ग्राम-फतेहपुर	
			97	0.60
			118	0.40

(1)	(2)	(1)	(2)
229	0.60	22/3	0.40
233	0.34	22/2	0.60
245/2	0.28	22/4	0.60
245/3	0.05	22/5	0.34
243	0.17	23/1	1.40
246/2	0.30	23/2	0.81
योग . .	<u>2.74</u>	23/3	1.39
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—बनियानाला तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.		27	0.15
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		32	0.61
		34	0.81
		36/2	0.80
		45/1	0.10
		108	0.80
		109/1	0.64
		109/2	0.65
		110	1.19
		111	0.50
		113/1	3.30
		113/2	0.46
		114	0.54
		113/3	2.02
		117	1.38
		118/4	0.74
		118/3	0.40
		125	0.70
		141	0.20
		योग . .	<u>30.90</u>
		ग्राम-बोरगांवखुर्द	
		75/2	0.10
		74/2	0.70
		74/3	0.60
		74/1	0.80
		योग . .	<u>2.20</u>
		महायोग . .	<u>33.10</u>
		ग्राम—मंगरुल नहर कार्य	
		118/3	0.08
		118/2	0.02
		141	0.39
		139	0.41

रा.प्र.क्र. 04-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—बुरहानपुर
(ग) ग्राम—मंगरुल, बोरगांवखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.10 हेक्टर (तालाब कार्य)
6.00 हेक्टर (नहर कार्य मंगरुल/निंबोला)

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम—मंगरुल तालाब कार्य

9	1.59
10	0.81
12	1.21
15	1.35
18	0.81
123	0.79
19	1.21
22/1	1.60

(1)	(2)	(1)	(2)
187	0.07	ग्राम-निंबोला	
186/1	0.02	105	0.07
186/2	0.23	108	0.08
188/1	0.20	110	0.02
188/2	0.13	112	0.06
188/3	0.15	33/1	0.11
189	0.02	33/5	0.11
176	0.16	33/6	0.05
177	0.07	योग . .	<u>0.50</u>
174, 194	0.26	महायोग . .	<u>6.00</u>
178/2	0.18		
173	0.07	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—मंगरूल तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु एवं नहर कार्य हेतु.
172/1	0.31	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
172/2	0.19		
195/1	0.13		
195/2	0.14		
195/3	0.07		
215/1	0.06		
214/1	0.10	बुरहानपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011	
214/3	0.10		
212/1	0.16		
211/1	0.18		
27	0.25		
83/1	0.08		
83/2	0.04		
83/3	0.10		
81/3	0.13		
81/4	0.06		
80/2	0.10	(1)	भूमि का वर्णन—
80/4	0.05	(क)	जिला—बुरहानपुर
159/4	0.09	(ख)	तहसील—नेपानगर
159/5	0.09	(ग)	ग्राम—भगवानिया, धुलकोट
159/3	0.10	(घ)	लगभग क्षेत्रफल—52.13 हेक्टर.
159/2	0.10		
159/1	0.10	खसरा नम्बर	रकबा
158	0.10	(1)	(2)
161/2	0.11		
161/1	0.10		
योग . .	<u>5.50</u>	ग्राम-भगवानिया	
		59	1.83
		206	7.97
		208	0.37

(1)	(2)	(1)	(2)
209/1	3.40	63	0.03
209/2	3.40		योग . . . 40.42
210	1.30		
215	0.70		ग्राम-धुलकोट
193	0.52	858/1	0.15
192	0.07	858/2	0.29
224	0.07	858/3	0.19
191	0.38	883	0.48
180	0.17	884	0.15
223	0.34	836/1	0.08
226	0.26	836/2	0.22
219	0.07	837/2	0.14
228	4.22	837/1	0.08
220	0.66	837/4	0.08
227	0.11	833	0.20
230	0.42	817/2	0.07
237	1.91	830	0.08
231	0.08	817/1	0.62
233	0.39	806/1	0.16
232	1.54	806/2	0.22
234	0.07	806/3	0.19
235	0.62	804/2	0.17
236	0.65	803	0.14
240	0.61	802	0.20
241	1.40	652	0.08
242	1.12	788	0.09
243	0.22	782	0.50
248/2	0.45	781	0.23
248/1	0.90	783	0.10
141	0.01	784	0.22
138/1	0.05	648/3	0.13
138/2	0.05	648/4	0.08
251	1.62	684/1	0.26
257	1.62	649	0.14
66/1	0.18	651	0.20
66/2	0.08	653	0.07
66/3	0.16	643/1	0.20
65	0.15	643/2	0.15
41	0.16	655	0.05
43	0.02	626	0.28
64	0.07	613/2	0.23
		614	0.25

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपालनगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
608	0.12	
606/1	0.06	
606/2	0.07	
594	0.21	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
590/1	0.30	रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
843	0.14	
845	0.13	
846	0.04	
844	0.03	
841	0.10	
849	0.04	
852	0.19	
858/3	0.22	
883	0.32	
874	0.08	
886	0.31	
818	0.16	
826	0.13	
825/1	0.08	
931	0.11	
934/1	0.12	
934/2	0.06	
935	0.18	
658/2	0.18	
658/3	0.19	
661	0.23	
642	0.08	
632	0.05	
631	0.05	
630	0.05	
629	0.08	
612	0.04	
633	0.12	
603	0.14	
602	0.13	
योग . .	<u>11.71</u>	
महायोग . .	<u>52.13</u>	
		रीवा, दिनांक 11 नवम्बर 2011
		क्र. 1893-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, भी यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—रीवा
		(ख) तहसील—गुढ़
		(ग) ग्राम—बौलिहा
		(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.471 हेक्टेयर.
		खसरा नं.
		अर्जित रकबा
		(हे. में)
		(1)
		(2)
		78
		0.141
		77
		0.024
		63
		0.064
		65
		0.012
		62
		0.056
		64
		0.072
		68
		0.090
		72
		0.012
		योग . .
		<u>0.471</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—रूपारेल तालाब के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1895-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—महांडांडी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —2.58 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
368	0.20
369	0.183
366	0.043
360	0.030
361	0.02
353	0.153
359	0.008
354	0.042
356	0.045
376	0.032
383	0.058
384	0.149
347	0.083
346	0.030
341	0.076
345	0.011
344	0.001
342	0.056
335	0.0276
334	0.024
332	0.026
301	0.28
302	0.012
298	0.138
303	0.066
328	0.070
योग . .	1.864

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-1897-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—करौदी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.675 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
825	0.024
896	0.018
904	0.062
903	0.056
907	0.030
902	0.010
910	0.066
911	0.045
912	0.010
909	0.014
939	0.318
928	0.021
कुल योग :	0.675

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-1899-भू-अर्जन-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—धांधी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.195 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
312	0.054
311	0.072
310	0.010
228	0.042
225	0.054
224	0.060
180	0.066
179	0.058
183	0.068
186	0.039
187	0.039
188	0.030
192	0.030
191	0.084
193	0.054
124	0.006
123	0.060
121	0.042
120	0.045
119	0.001
109	0.024
107	0.042
106	0.021
104	0.120
103	0.056
102	0.009
101	0.006
100	0.003
योग . .	1.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत अमिरली शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 11-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—गंगरवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.670 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
आर.एम.	3ए
151/3	0.125
150/1	0.088
150/2	0.088
170/11	0.127
139/3	0.137
योग . .	0.565
आर.एम.	3बी
188/1	0.109
202/3	0.017
138/3/1ग	0.193
138/3/1ख	0.148
138/3/2	0.401

(1)	(2)	(1)	(2)
206/1	0.099	52	0.98
206/2	0.038	40	3.41
योग . .	<u>1.005</u>	51	0.02
		44	0.71
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पीपलखेड़ा नहर की माइनर आर.एम. 3ए एवं आर.एम. 3बी का निर्माण हेतु.		43	0.54
		41	0.71
		18	1.85
		19	2.17
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		21	0.40
		22	0.08
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		23	0.08
		36	0.19
		130	0.58
		34	0.17
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश		35	0.49
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,		59	0.36
राजस्व विभाग		54	0.13
		49	0.02
रतलाम, दिनांक 16 नवम्बर 2011		152	0.05
		38	0.60
क्र. 5489-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		60	0.18
		61	0.13
		62	0.18
		50	0.10
		42	1.29
		110	0.28
		16	0.04
		39	1.02
अनुसूची		131	0.10
(1) भूमि का वर्णन—		142	0.02
(क) जिला—रतलाम		150	0.32
(ख) तहसील—जावरा		149	0.37
(ग) ग्राम—पेलादड़ी, देहरी		151	0.31
(घ) लगभग क्षेत्रफल —30.17 हेक्टर.		140	0.51
		138	0.49
सर्वे क्रमांक	रकबा	134	0.87
	(हे. में)	135	0.99
(1)	(2)	136	0.77
		137	1.00
ग्राम-पेलादड़ी		15	0.02
9	0.02	160	1.74
10	0.22	3	0.04
20	0.33	13	0.48
37	1.43	128/2	0.26
53	0.56	124	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
87/6	0.16	68/5	0.105
95	0.10	68/3	0.225
योग . .	<u>27.97</u>	68/4	0.060
ग्राम-देहरी		68/7	0.240
221	0.97	74	0.255
222/1	0.81	76/3	0.315
222/2	0.42	76/4	0.240
योग . .	<u>2.20</u>	78/3	0.180
कुल योग . .	<u>30.17</u>	124	0.338
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम पेलादड़ी तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.		168/2	0.075
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.		78/4	0.165
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		89/2	0.225
		91	0.105
		94/2	0.240
		94/3	0.615
		132/2	0.240
		163	0.060
		132/4	0.113
		137/1	0.105
		137/2	0.120
		137/3	0.270
		137/4	0.180
		137/5	0.135
		140/1	0.188
		147/4	0.248
		162/1	0.180
		174/1	0.113
		174/7	0.315
		174/2	0.096
		174/3	0.090
		174/4	0.096
		193	0.300
		174/5	0.255
		174/6	0.120
		192	0.150
		195	0.150
		194	<u>7.027</u>
		योग . .	
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बड़गांव तालाब योजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.	
(क) जिला—बड़वानी		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन	
(ख) तहसील—निवाली			
(ग) ग्राम—बोरली, प. ह. नं. 07			
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.027 हेक्टर.			
सर्वे नंबर	डूब भूमि का रकबा		
(1)	(हे. में)		
68/2	0.120		

यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		(1)	(2)
		171/2	0.030
		168/1/2,	0.073
		168/2/2	
क्र. 2503-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 37-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		98	1.011
		99	0.530
		112	0.852
		114, 129/1/1/2	0.080
		129/1/1/16	
		115	0.060
		116/1	0.560
		122/3	0.015
		117	1.023
(1) भूमि का वर्णन—		118/1	0.101
(क) जिला—बड़वानी		118/2	0.101
(ख) तहसील—राजपुर		118/3	0.101
(ग) ग्राम—सालीकला		118/4	0.101
(घ) लगभग क्षेत्रफल —11.033 हेक्टर.		171/3,	0.030
खसरा	अर्जित रकबा	171/4,	0.020
नंबर	(हे. में)	175/4	0.140
(1)	(2)	172/3	
93	0.409	172/6	0.045
167/2	0.020	175/6	
96/1	1.500	174/7	0.130
97	0.446	174/6	
96/2	0.938	175/1/6	0.175
100	0.070	175/1/1/10	
96/3	0.380	229	0.145
96/6	0.348	232, 233	0.020
96/7	0.251	160/1	0.200
96/4	0.040	156/1, 240/12	0.090
119/1	0.250	175/1/2/8	0.160
167/1	0.090	175/5	
126/1/1/5	0.100		
168/1/1	0.085		
122/1	0.020		
169/4	0.010		
169/3	0.035		
169/7	0.040		
169/1, 175/6	0.060		
170/6	0.118		
171/1	0.030		
		योग . . .	11.033
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सालीकला तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	

क्र. 2502-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. 39-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—पानसेमल
(ग) ग्राम—आमझिरी, प. ह. नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.273 हेक्टर.

सर्वे नंबर	डूब भूमि का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
62/2	1.052
63/1	1.691
64/3	0.132
65/2'ग'	0.065
65/3'क'	0.105
65/3'ख'	0.138
66/1/2	0.045
66/1/3	0.045
योग . .	<u>3.273</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बोरबन तालाब की नहर एवं बांध निर्माण योजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2504-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. 40-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—पानसेमल
(ग) ग्राम—खोड़ामुहाली, प. ह. नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.789 हेक्टर.

सर्वे नंबर	डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/4	0.424
1/2	
4/2	0.136
5	
6/2	0.089
6/3	0.084
13/1	0.080
13/2	0.080
13/3	0.020
13/4	0.060
16/1	0.105
11/2	0.010
17/1	0.140
17/2	0.024
18/1	0.040
18/2	0.057
18/3	0.113
18/4	0.061
18/5	0.040
19	0.105
27	0.121
योग . .	<u>1.789</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बोरबन तालाब की नहर एवं बांध निर्माण योजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 17 नवम्बर 2011

संशोधन

क्र. 1629-भू-अर्जन-2011.—पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 765/400 के. व्ही. की स्थापना हेतु ग्राम परसदेही की अर्जित भूमियों की उद्घोषणा क्रमांक 833/भू-अर्जन-2011, दिनांक 01 जून 2011 को जारी की थी. जिसमें लिपिकीय त्रुटि होने के कारण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित उद्घोषणा जारी की जाती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—सिंगरौली
(ग) ग्राम—परसदेही, पटवारी हल्का नं. चाचर नं. 48
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.91 हेक्टर.

राजपत्र में दिनांक 10 जून 2011 को प्रकाशित ख. न./रकबा		संशोधित ख. नं./ रकबा	
खसरा नं.	रकबा (हे. में.)	खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)
611	1.85	611/1	0.10
		611/2	0.35
		611/3	0.35
		611/4	0.35
		611/5	0.35
		611/6	0.35
734/2	0.2	734/2 क जुज.	0.08
		734/2 ख जुज.	0.04
		734/2 ग जुज.	0.04
		734/2 घ जुज.	0.04

- (2) पूर्व जारी अधिसूचना दिनांक 01 जून 2011 में सम्मिलित शेष खसरा नं. यथावत रहेंगे.
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—पावरग्रिड के 765/400 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु—भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली, सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

संशोधन

क्र. 1631-भू-अर्जन-2011.—पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 765/400 के. व्ही. की स्थापना हेतु ग्राम खम्हरिया की अर्जित भूमियों की उद्घोषणा क्रमांक 835/भू-अर्जन-2011, दिनांक 01 जून 2011 को जारी की थी. जिसमें लिपिकीय त्रुटि होने के कारण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित उद्घोषणा जारी की जाती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—सिंगरौली
(ग) ग्राम—खम्हरिया, पटवारी हल्का नं. खम्हरिया नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.59 हेक्टर.

राजपत्र में दिनांक 10 जून 2011 संशोधित ख. नं./ रकबा को प्रकाशित ख. न./रकबा जुज 2 एवं 3 के स्थान पर

		निम्नानुसार पढ़ा गया	
खसरा नं.	रकबा (हे. में.)	खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)
392/1	0.24	392/1क	0.02
		392/1ख	0.02
		392/1ग	0.02
		392/1घ	0.02
		392/5क	0.02
		392/5ख	0.02
		392/5ग	0.02
		392/5घ	0.02
		392/6क	0.02
		392/6ख	0.02
		392/6ग	0.02
		392/6घ	0.02
392/2	0.09	392/2क	0.03
		392/2ख	0.02
		392/2ग	0.01
		392/2घ	0.01
		392/2ङ	0.02
392/3	0.08	392/3क	0.03
		392/3ख	0.01
		392/3ग	0.02
		392/3घ	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
392/4	0.09	392/4क	0.01			400/3ख	0.04
		392/4ख	0.06			400/3ग	0.04
		392/4ग	0.01			400/3घ	0.02
		392/4घ	0.01			400/3ङ	0.01
395	0.42	395/1	0.25			400/3च	0.02
		395/2	0.06			400/3छ	0.02
		395/3	0.02			400/3ज	0.07
		395/4	0.03			400/3झ	0.02
		395/5	0.02			400/3ञ	0.02
		395/6	0.02			400/3ट	0.01
		395/7	0.02			400/3ठ	0.01
396	0.55	396/1	0.2			400/3ड	0.02
		396/2	0.02			400/4	0.06
		396/3	0.02			400/5	0.06
		396/4	0.05			400/6	0.06
		396/5	0.03			400/7	0.02
		396/6	0.02			400/8	0.02
		396/7	0.03			400/9	0.02
		396/8	0.01			401/1	1.36
		396/9	0.05	401	2.22	401/3क	0.07
		396/10	0.02			401/3ख	0.08
		396/11	0.05			401/3ग	0.08
		396/12	0.01			401/3घ	0.06
		396/13	0.01			401/4क	0.04
		396/14	0.02			401/4ख	0.02
		396/15	0.01			401/4ग	0.01
399	0.12	399/1	0.08			401/5	0.04
		399/2	0.01			401/6क	0.01
		399/3	0.01			401/6ख	0.03
		399/4	0.01			401/7	0.02
		399/5	0.01			401/8	0.02
400	1.9	400/1	0.06			401/9	0.08
		400/2क	0.58			401/10	0.02
		400/2ख	0.04			401/11	0.02
		400/2ग	0.02			401/12	0.02
		400/2घ	0.02			401/13	0.06
		400/2ङ	0.02			401/14	0.02
		400/2च	0.02			401/15	0.02
		400/2छ	0.02			401/16	0.04
		400/2ज	0.02			401/17	0.02
		400/2झ	0.02			401/18	0.01
		400/2ञ	0.02			401/19	0.01
		400/2ट	0.02				
		400/3क	0.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
401	2.22	401/20	0.01			402/27क	0.04
		401/21	0.01			402/27ख	0.02
		401/22	0.02			402/27ग	0.02
		401/23	0.02			402/27घ	0.02
402	1.35	402/1	0.31			402/27ङ	0.02
		402/2क	0.08	403	1.22	403/1	0.02
		402/2ख	0.03			403/2क	0.33
		402/2ग	0.01			403/2ख	0.06
		402/2घ	0.01			403/2ग	0.06
		402/2ङ	0.01			403/2घ	0.01
		402/2च	0.01			403/2ङ	0.01
		402/2छ	0.01			403/2च	0.01
		402/2ज	0.01			403/2छ	0.01
		402/2झ	0.01			403/3	0.49
		402/2ञ	0.01			403/4क	0.04
		402/2ट	0.01			403/4ख	0.04
		402/3	0.02			403/4ग	0.03
		402/4	0.02			403/5क	0.04
		402/5	0.02			403/5ख	0.04
		402/6	0.02			403/5ग	0.03
		402/7	0.02	404	1.7	404/1क	0.17
		402/8	0.02			404/1ख	0.02
		402/9	0.02			404/1ग	0.06
		402/10	0.02			404/1घ	0.04
		402/11	0.02			404/1ङ	0.02
		402/12	0.04			404/1च	0.02
		402/13	0.02			404/1छ	0.03
		402/14	0.04			404/1ज	0.02
		402/15	0.1			404/2	1.2
		402/16	0.02			404/3	0.12
		402/17	0.01	406	0.57	406/1	0.16
		402/18	0.01			406/2	0.41
		402/19	0.01	407/1	1.19	407/1	0.77
		402/20	0.01			407/3क	0.06
		402/21	0.02			407/3ख	0.03
		402/22	0.02			407/3ग	0.03
		402/23	0.02			407/3घ	0.02
		402/24	0.05			407/3ङ	0.02
		402/25	0.06			407/4	0.04
		402/26क	0.03			407/5	0.02
		402/26ख	0.02			407/6	0.02
		402/26ग	0.02			407/8	0.02
		402/26घ	0.02			407/9	0.06
		402/26ङ	0.02			407/10	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(ग) ग्राम—पीथमपुर	(घ) लगभग क्षेत्रफल—52.235 हेक्टेयर.
409/1	1.76	409/1	1.4	सर्वे	अर्जित रकबा
		409/2	0.02	नम्बर	(हेक्टर में)
		409/3	0.06	(1)	(2)
		409/4	0.05	448/1/1	0.079
		409/5	0.06	448/1/2	0.059
		409/6	0.08	448/1/3	0.072
		409/7	0.03	448/1/4	0.010
		409/8	0.02	448/2	0.653
		409/9	0.02	448/3	0.261
		409/10	0.02	451/1/1	0.100
444/1	1	444/1	0.05	451/1/2	0.100
		444/6	0.32	451/1/3	0.067
		444/7	0.32	451/1/4	0.067
		444/8	0.31	451/2	0.324
446	0.04	446/1	0.02	451/3	0.334
		446/4	0.02	451/4	0.334
(2)	पूर्व जारी अधिसूचना दिनांक 01 जून 2011 में सम्मिलित शेष खसरा नं. यथावत रहेंगे.			451/5	0.334
(3)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पावरग्रिड के 765/400 के व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु—भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.			451/6	0.334
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली, सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.			451/7/1	0.167
				451/7/2	0.167
				451/8	0.334
				452	0.063
				453/1	1.181
				453/2	1.603
				454/1	0.261
				454/2	1.903
				454/3	1.823
				455/1	0.140
				455/2	0.146
				456/1	0.371
				456/2	0.021
				457/11, 457/14	2.371
				471/2	0.366
				471/3	0.261
				471/4	0.261
				471/5	0.261
				471/6	0.261
				471/1/1	0.583
				471/1/2	0.573
				471/1/3	0.164
				471/1/4	0.164
				471/1/5, 471/7/1	0.235
				471/7/2	0.131

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र.-11835-भू-अर्जन-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(1)	(2)	(1)	(2)
471/8	0.260	474/3क/2	1.118
471/9/1	0.335	474/3क/3	0.272
471/9/2	0.335	474/3ख/1	0.418
471/10	0.314	474/3ख/2	0.696
471/11	0.314	474/3ख/3	0.696
471/12	0.345	474/3ख/4	0.697
471/13	0.324	474/4	2.926
471/14	0.314	474/5/1	1.091
471/15	0.314	474/5/2	1.090
471/16	0.449	474/5/3	1.090
471/17	0.523	474/6	2.393
471/18	0.209	474/7	1.476
471/19	0.376	474/8	0.209
471/20	0.470	480/1/1	0.209
471/21	1.105	480/1/2	0.209
471/22	0.115	480/2/1क/1	0.224
471/23	0.575	480/2/1/2	0.220
471/24	0.126	480/2/3/1	1.080
471/25	0.105	480/2/2	0.706
471/26	0.418	480/2/3/2	0.105
471/27	0.345	480/2/3/3	0.105
471/28	0.418	480/2/3/4	0.019
471/29	0.376	480/2/3/5	0.209
471/30क1, 472/2/1	0.100	480/2/3/6	0.209
471/30क2, 472/2/1	0.054	481/1/1	0.109
471/30, 472/1	0.154	481/1/2/2	0.079
471/30, 472/1	0.230	481/2/1	0.110
472/2	1.035	481/2/2	0.259
472/3/1	0.167	482/1	0.325
473/3/2	0.168		योग : <u>52.235</u>
472/3/3	0.167		
472/3/4	0.167	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—डी.एम.आय.सी. परियोजना अंतर्गत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब पीथमपुर की स्थापना से प्रभावित होने से.	
472/4/1	0.446		
472/4/2	0.400	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
473/5/3	0.400		
473/5/4	0.140		
473/4/2/2	0.160		
473/5/1	0.283		
473/5/2	0.400		
473/6/1	0.544		
473/6/2	0.071		
473/7	1.233		
474/3क/1/1	1.118		
474/2/1	1.045		

क्र.-11836-भू-अर्जन-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता

है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

(1) (2)

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—भोंडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.814 हेक्टेयर.

सर्वे अर्जित रकबा
नम्बर (हेक्टर में)
(1) (2)

2/3/1 0.081

2/3/2 0.082

2/3/3 0.082

2/3/4 0.082

2/3/5 0.082

4 0.010

6/1 0.209

6/2 0.209

7 0.387

8 0.397

10 1.275

12/1 0.079

13/1 0.393

14 0.146

16/1 0.010

17/1 0.020

26/1 1.536

27 2.230

28/1 0.287

28/2 0.286

28/3 0.287

28/4 0.286

28/5 0.286

29 0.324

30/1 0.054

30/2 0.109

30/3 0.054

30/4 0.055

31/1 0.240

31/2 0.240

31/3 0.946

31/4 0.946

32/1 0.780

33/1 0.475

33/2

33/3/1

33/4/2

33/5/1

33/6

34/1

34/2

34/3

34/4

34/5

202/1

205/1

206

208/1

208/2/1

209/2/1

244/1/1

244/2/1

243/3/3

245/1

योग : 23.814

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—डी.एम.आय.सी. परियोजना अंतर्गत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब पीथमपुर की स्थापना से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-3968-भू-अर्जन-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—अकोलिया	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—86.089 हेक्टेयर.	308/1	0.414
सर्वे	308/2	0.415
अर्जित रकबा	308/3	0.414
नम्बर	308/4	0.622
(1)	(2)	308/5
250/1	0.403	310/1
250/2	0.402	310/2
251/1	0.403	311/1
251/2	0.402	311/2
268/2	0.584	312
269	0.941	313/1
270	0.502	313/2
271/1	0.439	313/3
271/2/2	0.439	314
273	1.818	316
274	1.129	317
275	1.129	318/1
276/1	0.627	318/2
276/2	0.627	319
277	0.596	320
287/1	0.846	321
287/2	0.846	322
288/1	0.893	323/1
288/2	0.894	323/2
289	0.585	323/3
290	0.680	324
291	0.031	325
292/1/1	0.624	326/1
292/1/2	0.625	326/2
292/2	0.809	327
293	3.177	328
294	3.522	329
295	1.108	330
296	0.366	331
297	0.324	332
298	0.637	333
299	1.254	334
300	1.306	335/1
302	0.743	335/2
304	0.888	336
305/1	0.846	337/1
305/2	0.836	337/2
306/1	0.690	337/3
306/2	0.689	338
	341/2	0.100

(1)	(2)	(1)	(2)
341/3	0.100	390/3	0.269
343/1	0.314	412	0.165
343/2	0.199	413	0.455
343/3	0.198	425	1.000
343/4	0.198	426	0.105
344	0.115	427	0.951
345	2.038	428	0.648
346/1/1	0.091	429	2.278
346/1/2	0.080	430	0.418
346/2	0.170	431/1	0.355
346/3	0.171	431/2	0.356
348/1	1.269	433/1	0.193
348/2	1.124	433/2	0.580
349	1.003	434	0.721
350/1	0.739	435	0.052
350/2	0.273	437	0.261
350/3/1	0.273	439	0.637
350/3/2	0.273	440	0.188
350/4	0.273	441	0.115
350/5	0.136	442	0.230
350/6	0.136	443	0.345
350/7	0.281	444	0.920
350/8	0.281	447	1.118
351	0.251	448/1	0.219
355	0.523	448/2	0.241
356	1.432	450	0.502
357/2/1	0.669	451/1	0.606
357/2/2	0.209	451/2	0.606
378/1	0.118	451/3	0.606
378/2	0.147	452	1.264
378/3	0.077	453/1	0.453
378/4	0.020	453/2	0.195
381/2	0.707	455	0.397
381/3	0.014	457/1	0.176
382	0.345	457/1/1	0.559
383/1/1	0.241	457/2/2	0.559
383/1/2	0.280		योग : 86.089
383/1/3	0.280		
383/2	0.192		
385/1	0.909		
385/2	1.035		
386/1	0.345		
386/2	0.345		
387	1.568		
388	0.523		
389	0.073		
390/1	0.264		
390/2	0.269		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—डी.एम.आय.सी. परियोजना अंतर्गत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब पीथमपुर की स्थापना से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.